www.navpradesh.com

# दैनिक नवप्रदेश

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्

प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 2 | अभिव्यक्ति 4 | छत्तीसगढ़ 6 | आंचलिक 7 | देश-विदेश

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शुक्रवार 8 जुलाई 2022, शुक्ल पक्ष नवमी, विक्रम संवत-2078 वर्ष-11 अंक-133 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

जीवन में आपको रोकने-टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं।

## आज बेबाक

अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की कुटनीति वाकई बेमिसाल है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां इसपर इमानदारी से अमल कर रही है और बड़े मजे से राज करने में सफल हो रही है। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर फूट डाल कर राज करने वाली पार्टियों की दुकानदारी धड़ल्ले से चल रही है। अब तो परिवारवादी पार्टियों के परिवार में फूट डालने की नई नीति इजाद हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में इस नीति ने खलबली मचा दी है। बुढ़ौती में शरद पवार को अपनी पार्टी को टूटने से बचाने भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

**सूर्योदय**

उदय : 5.29 प्रातः

अस्त : 7:23 संध्या

**जनसंख्या**

विश्व : 7,958,973,590

भारत: 1,407,844,530

**बाजार**

सेंसेक्स : 54178.46

निफ्टी: 16132.90

गोल्ड : 51,110 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 57,000 प्रति किग्रा

अण्डा दरः 5.41 प्रति नग

**प्रदेश का मौसम**

| स्थान | अधिकतम | न्यूनतम |
|---|---|---|
| रायपुर | 33.1 | 25.9 |
| बिलासपुर | 32.2 | 25.4 |
| जगदलपुर | 26.0 | 23.6 |
| अंबिकापुर | 30.1 | 23.2 |

**आज का दिवस**

ऐतिहासिक घटनाएं: 1497- वास्को में गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जलयात्रा आरंभ की थी। 1808 में ओबोयकोमार्क ने बेथेल संविधान को मंजूरी दी थी। 1853 में पेरी अभियान एडो खाड़ी में पहुंचा था। 1859 में जापान एवं अनुबंध व्यापार के साथ संधि में आया था। 1859 में किंग चार्ल्स एक्सवीं और चतुर्थ स्वीडन-नॉर्वे के सिंहासन पर सफल हुए थे। 1876 में व्हाइट सुप्रमेसिस्ट्स ने दक्षिण कैरोलिना के हैम्बर्ग में पांच काले रिपब्लिकन को मार दिया था। 1889 में वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। 1892 में सेंट जॉन्स, न्यूफ़ाउंडलैंड 1892 की आग में तबाह हो गया था। 1912 में हेनरिक बिशेल ने पादवा वसुलेरे पास में प्रथम पुर्तगाली गणराज्य के खिलाफ असफल हमला किया था। 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई थी। 1933 में ऑस्ट्रेलिया के वालाबीज और दक्षिण अफ्रीका के स्प्रिंगबोक के बीच पहला रग्बी यूनियन टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला गया था। 1937 में तुर्की, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान ने सादाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

# भावनाओं से नहीं चलती दुनिया, रिजल्ट के साथ सबूत भी चाहिए : पीएम मोदी

वाराणसी (ए.)। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की दुनिया परिणाम के साथ ही प्रमाण भी मांगती है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस लिहाज से तैयार करना होगा कि दुनिया में हमारी चीजों को स्वीकार करे और उसका लोहा माने। खासतौर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो हम भले ही उसमें आगे हैं और उससे परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं मिलते हैं। हमारे पास डेटा बेस होना चाहिए। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते। यही वजह है कि परिणाम के साथ ही प्रमाण की भी जरूरत है।' उन्होंने कहा कि इसलिए यूनिवर्सिटीज को इस पर काम करना चाहिए कि परिणाम हैं तो फिर प्रमाण भी तलाशे जाएं। समृद्ध देश भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी आबादी में बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का है।

## सिंधिया ने संभाला इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार

नयी दिल्ली (वार्ता)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। वह राज्य सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री बने हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के बुधवार को दिए गए इस्तीफे के बाद मिली है। श्री सिंह का का राज्य सभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया।

# मोदी सरकार पिछले दरवाजे से ला रही है कृषि विरोधी कानून : कांग्रेस

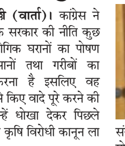

नयी दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की नीति कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण कर किसानों तथा गरीबों का शोषण करना है इसलिए वह किसानों से किए वादे पूरे करने की बजाय उन्हें धोखा देकर पिछले दरवाजे से कृषि विरोधी कानून ला रही है।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और पिछले दरवाजे से उसी कृषि विरोधी कानून को लाने के प्रयास में है जिसको वापस करने के लिए किसानों को लम्बे समय तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा था। किसान विरोधी मोदी सरकार अब पीछे के दरवाजे से उसी कृषि कानून को दोबारा लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा ■ शेष पृष्ठ 6 पर

# अब समर्थन मूल्य पर दाल भी खरीदेगी सरकार

■ निवास प्रमाण पत्र के लिए पहली, चौथी और पांचवी का स्कूल सर्टिफिकेट अनिवार्य

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार को हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीं बाहरी लोग प्रदेश के मूल निवासी का लाभ ना ले सकें, इसलिए, निवास प्रमाण पत्र के नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और पांचवीं कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चौथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

### इलेक्ट्रानिक वाहनों को देंगी बढ़ावा

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे।

### बिजली बिल हॉफ का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना का विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।

# कैबिनेट की बगावत के बाद पीएम बोरिस जॉनसन का इस्तीफा

लंदन (ए.)। ब्रिटेन में महाराष्ट्र जैसे सियासी घमासान के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर खतरा कई बार मंडराया है लेकिन इस बार बगावत का तूफान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। ब्रिटेन में चार कैबिनेट मंत्री समेत 40 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बोरिस जॉनसन पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद तो इस्तीफों की झड़ी लग गई।

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अभी तक यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वह कंजरवेटिव पार्टी के नए नेता चुनने तक पद पर रहेंगे या नहीं। आखिर अब ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बता दें कि बोरिस जॉनसन ने 36 घंटे पहले ही दो नए मंत्री बनाए थे। उन्हें भी पद संभालते ही इस्तीफा देना पड़ा। इसमें ट्रेजरी चीफनदीम जहवी भी शामिल हैं।

**बागी मंत्री को कर दिया था बर्खास्त:** बोरिस जॉनसन पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक दिन पहले ही उनकी कैबिनेट के करीब 9 मंत्री उनके पास पहुंचे थे और उनसे कंजरवेटिव पार्टी के हित और आगे आने वाले चुनावों का हवाला देकर बोरिस से इस्तीफा देने को कहा था।

# छह जिलों के एसपी समेत 9 आईपीएस अफसरों का तबादला

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को 6 जिलों के एसपी समेत 9 आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें राजनांदगांव एसपी संतोष सिंह को कोरबा, कोरबा एसपी भोजराम पटेल को महासमुंद, महासमुंद पुलिस अधीक्षक को विवेक शुक्ला को 15वीं वाहिनी छसबल बीजापुर, कोरिया पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को राजनांदगांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पदस्थ एसपी त्रिलोक बंसल को कोरिया, जशपुर एसपी राजेश कुमार अग्रवाल को 11वीं वाहिनी छसबल जांजगीर-चांपा में पदस्थ किया गया है। वहीं 2009 बैच के आईपीएस डी रविशंकर को जशपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वे अभी सूरजपुर जिले में 10वीं ■ शेष पृष्ठ 6 पर

# भाजपा से 25 विधायक और शिंदे गुट के 13 शिवसैनिक बनेंगे मंत्री

■ कैबिनेट विस्तार पर बन रही सहमति

मुंबई (ए.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी भाजपा के होंगे। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 25 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री शामिल होंगे। वहीं, निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाने की संभावना है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ■ शेष पृष्ठ 6 पर शिंदे की इस नई सरकार में

# गोवा में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद

■ सीएम प्रमोद सावंत बोले- 100 दिनों में लगाई रोक

पणजी (ए.)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में हिंदुओं के धर्मांतरण पर पूरी तरह लगाम लगने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 100 दिनों के भीतर तटीय राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगा दी है। बुधवार को हुए एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सावंत ने एक किताब भी जारी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 'डबल इंजन की सरकार' के काम के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाया है। हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका... जो पहले हो रहा था।' खास बात है कि इससे पहले भी वह राज्य के लोगों को धर्मांतरण को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे चुके हैं।

# शिकारी ही हुए शिकार : करंट की चपेट में आने से तीन की मौत, एक हिरण की भी गई जान

■ रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी वन अमला

रायगढ़/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध शिकार के चक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले। वन्य जीवों को मारने के लिए आरोपियों ने 11000 वॉट के हाईटेंशन वायर से कनेक्शन लिया था, लेकिन खुद ही उसकी चपेट में आ गए। इस दौरान तार के संपर्क में आकर एक हिरण की भी मौत हो गई। मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, वन विभाग को गुरुवार को सूचना मिली कि पूंजीपथरा और तराईमाल के बीच जंगल में तीन लोगों के शव पड़े हुए हैं। इस पर पुलिस को लेकर वन विभाग की टीम मौके ■ शेष पृष्ठ 6 पर

## बागियों को शिवसेना छोड़ने का कारण बताना चाहिए: संजय राउत

मुंबई (वार्ता)। शिवसेना प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास पार्टी छोड़ने का कोई उचित कारण नहीं था। श्री राउत ने बागी विधायकों से पार्टी से विद्रोह करने का उचित कारण बताने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बागी शिवसेना छोड़ने का असल कारण बताएं न कि विद्रोह करने के लिए हिंदुत्व या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की ओर से विकास कोष नहीं देने जैसी वजहें गिनायें।

वाराणसी/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री दो दिवसीय प्रवास पर बनारस में है।

**गरमा-गरम**

टीकाकरण... केंद्र ने घटाई समय सीमा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र

# अब 9 के बजाए 6 महीने में ले सकेंगे बूस्टर डोज

नई दिल्ली (ए.)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीके की बूस्टर डोज लेने की समयसीमा को नौ महीने से घटाकर छह महीने कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। पत्र में कहा है कि 18 से 59 उम्र के लोग अब दूसरी खुराक लेने के छह महीने के भीतर तीसरी खुराक निजी टीकाकरण केंद्रों पर ले सकेंगे।

60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज निशुल्क होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में अबतक टीके की 198.20 करोड़ खुराक लग चुकी है। दिल्ली में अबतक 17,15,652 बूस्टर डोज लग चुकी है।

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 600 नये मामले सामने आये और महामारी से एक और व्यक्ति की मौत हो गई जबकि संक्रमण दर कम होकर 3.27 प्रतिशत रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को यहां साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 19,38,648 हो गई है और मृतकों की संख्या 26,276 पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार को संक्रमण के 615 मामले दर्ज किये गये थे जबकि तीन लोगों की मौत हुई थी। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,590 है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 420 मामले दर्ज किये गये थे जबकि संक्रमण दर 5.25 प्रतिशत थी जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

### भारत में मिला ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट बीए 2.75

भारत में कोविड-19 के मरीजों का बढ़ना जारी है। इसी बीच खबर है कि देश में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट बीए 2.75 मिला है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। बताया गया कि पहले इस सब लाइनेज की पहचान भारत में हुई थी और बाद में यह अन्य देशों में भी फैल गया। फिलहाल, WHO BA.2.75 पर नजर बनाए हुए है।

# नकारात्मक मुद्दों पर विवाद ठीक नहीं

■ मां काली पोस्टर विवाद पर महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी की नसीहत

नई दिल्ली (ए.)। डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर पर देशभर में मचे बवाल के बीच अब इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि कुछ लोग किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद क्यों उठाते हैं? ममता बनर्जी के इस बयान को पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत के रूप में भी देखा जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वितरण के एक कार्यक्रम में कहा, कभी-कभी मुझे लगता है, हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं। हम काम करते समय गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग अच्छे कामों को नहीं देखते हैं और अचानक से चिल्लाने लगते हैं... नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो आइए सकारात्मक सोचें।'

## संपादकीय

# ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी

हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों की धार्मिक आस्था को चोंट पहुंचाना आम बात हो गई है। इस काम में फिल्मकार सबसे आगे है। जो हिन्दुओं की भावनाओं को ठेंस पहुंचाने में संकोच नहीं करते। ऐसा कर के वे चर्चा में आ जाते है और उनकी फिल्में कुछ हद तक सफल भी हो जाती है। जबकि अन्य धर्म के बारे में कुछ भी दिखाने से उनकी रूह कांपती है। हिन्दुओं की सहिष्णुता ही ऐसे फिल्मकारों को हिन्दु देवी देवताओं का अपमान करने के लिए हौसला देती है, हालांकि अब ऐसी कोशिशों का हिन्दु संगठन विरोध करने लगे है। एक फिल्मकार लीना ने काली नामक फिल्म बनाई है जिसका उन्होने पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। जाहिर है इससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और उस फिल्मकार के खिलाफ देश में कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक लीना का विरोध किया जा रहा है। इसपर लीना ने बयान दिया है कि भारत में वह खुद को असुरक्षित माहसूस कर रही है, उनका कहना है कि उन्हे अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होने इस विवाद के बाद एक और पोस्ट की है जिसमें शिव और पार्वती बने कलाकारों को भी सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। समझ में नहीं आता कि लीना यह सब कर के आखिर क्या साबित करना चाहती है। दरअसल बॉलीवुड के फिल्मकार एक लंबे अरसे से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते आ रहे है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वे हिन्दुओं की आस्था पर जब तक चोट पहुंचाते रहे है और इसी नाम पर विवाद खड़ा कर के पब्लिसिटी पाते रहे है। बहरहाल अब समय आ गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाएं, इसके लिए सरकार कड़े कानून बनाएं। ईशनिंदा कानून बनना चाहिए जिसके तहत किसी भी धर्म के बारे में कोई भी अप्रीय बात कहना या दिखाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो और जो ऐसा करें उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएं। जब तक सरकार ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दिमागी रूप से दिवालिए हो चुके लोग इस तरह का कृत्य करते रहेंगे और लोगों की भावनाओं को भड़काकर देश में अप्रीय स्थिति निर्मित करे रहेंगे और अपने बचाव में लोगों को ही दोषी ठहराएंगे। जैसा की फिल्म निर्मिता लीना कर रही है। अपने कृत्य पर माफी मांगने की जगह वह यह आरोप लगा रही है कि देश में लोकतंत्र पर नफरततंत्र हावी होता जा रहा है। ऐसे कूतर्क कर के वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। बेहतर होगा कि वे अपनी इस गलती के लिए देश से माफी मांगे और भविष्य में इस तरह की गलती न करें।

## कविता

# सोश्यल मीडिया पर अंकुश जरुरी

सोश्यल मीडिया की प्रसिद्ध कंपनी, ट्विटर, ने यह कहकर अदालत की शरण ली है कि भारत सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि वह चाहती है कि ट्विटर पर जानेवाले कई संदेशों को रोक दिया जाए या हटा दिया जाए। उसने गत वर्ष किसान आंदोलन के दौरान जब ऐसी मांग की थी, तब कई संदेशों को हटा लिया गया था। लेकिन ट्विटर ने कई नेताओं और पत्रकारों के बयानों को हटाने से मना कर दिया था। जून 2022 में सरकार ने फिर कुछ संदेशों को लेकर उसी तरह के आदेश जारी किए हैं लेकिन अभी यह ठीक-ठीक पता नहीं चला है कि वे आपत्तिजनक संदेश कौन-कौन से हैं? क्या वे न्यायाधीशों की मनमानी टिप्पणियां हैं या नेताओं के निरंकुश बयान हैं या साधारण लोगों के अनाप-शनाप अभिमत हैं? सरकारी आपत्तियों को ट्विटर कंपनी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। उसका कहना है कि ज्यादातर आपत्तियां विपक्षी नेताओं के बयानों पर है। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार ऐसे सब संदेशों को हटवाना चाहती है, जो समाज में बैर-भाव फैलाते हैं, लोगों में गलतफहमियां फैलाते हैं और उन्हें हिंसा के लिए भड़काते हैं। पता नहीं कर्नाटक का उच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला देगा लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वैष्णव की बात सही लगती है परंतु असली प्रश्न यह है कि सरकार अकेली कैसे तय करेगी कि कौनसा संदेश सही है और कौनसा गलत? अफसरों की एक समिति को यह अधिकार दिया गया है लेकिन ऐसे कितने अफसर हैं, जो मंत्रियों के निर्देशों को स्वविवेक की तुला पर तोलने की हिम्मत रखते हैं? इस बात की पूरी संभावना है कि वे हर संदेश की निष्पक्ष जांच करेंगे लेकिन अंतिम फैसला करने का अधिकार उसी कमेटी को होना चाहिए, जिस पर पक्ष और विपक्ष, सबको भरोसा हो। इसमें शक नहीं है कि सामाजिक मीडिया जहां सारे विश्व के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है, वहीं उसके निरंकुश संदेशों ने बड़े-बड़े कोहराम भी मचाए हैं। आजकल भारत में चल रहा पैगंबर-विवाद और हत्याकांड उसी के वजह से हुए हैं। जरुरी यह है कि समस्त इंटरनेट संदेशों और टीवी चैनलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि लक्ष्मण-रेखा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सके। सामाजिक मीडिया और टीवी चैनलों पर चलनेवाले अमर्यादित संदेशों की वजह से आज भारत जितना परेशान है, उससे कहीं ज्यादा यूरोप उद्वेलित है। इसीलिए यूरोपीय संघ की संसद ने कल ही दो ऐसे कानून पारित किए हैं, जिनके तहत गूगल, एमेजान, एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां यदि अपने मंचों से मर्यादा भंग करें तो उनकी कुल सालाना आय की 10 प्रतिशत राशि तक का जुर्माना उन पर ठोका जा सकता है। यूरोपीय संघ के कानून उन सब उल्लंघनों पर लागू होंगे, जो धर्म, रंग, जाति और राजनीति आदि को लेकर होते हैं। भारत सरकार को भी चाहिए कि वह इससे भी सख्त कानून बनाए लेकिन उसे लागू करने की व्यवस्था ठीक से करे।

डॉ. श्रीनाथ सहाय

*कार्यकारिणी की बैठक में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नये प्रयोग करने की बात कही है वह महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में भी है और गुजरात की राजनीति के संदर्भ में भी जहां भाजपा ने अपना ही पूरा का पूरा मंत्रिंमडल बदलकर रख दिया है और साथ ही अपने धुर विरोधी हार्दिक पटेल को अपने साथ लाकर एक बड़ा दूरगामी संदेश दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 30 से 40 सालों तक भाजपा का युग रहेगा और भारत विश्वगुरु बनेगा। वंशवादी राजनीति, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति सबसे बड़ा पाप थे। अब इन सभी का अंत हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी का तुष्टिकरण नहीं अपितु तृप्तीकरण होगा। भाजपा दूसरे दलों को तोड़ कर क्षमतावान नेताओं को भी अपने पाले में कर लेती है। महाराष्ट्र ताजातरीन उदाहरण है। अब भाजपा ने 'मिशन तेलंगाना' का आह्वान किया है, क्योंकि अगले साल ही वहां विधानसभा चुनाव हैं।*

# भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकले संकेत

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (भ्लकमतंइंक) में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भाजपा की भविष्य दृष्टि बताने वाली रही है। अपनी कार्यकारिणी बैठक में भाजपा नेतृत्व ने जैसे तेवर दिखाए उससे मोदी विरोधी दल सकपका जरूर गये होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि आगामी 30-40 साल तक भाजपा-युग ही रहेगा और भारत 'विश्व-गुरु' बनेगा। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 'राजनीतिक प्रस्ताव' पेश करते हुए उन्होंने यह दावा किया। साफ मायने हैं कि इतने कालखंड के दौरान भाजपा की सत्ता ही रहेगी और वही देश की दिशा और दशा तय करती रहेगी।

इसी दौरान कुछ विशेषज्ञों के आकलन भी सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी के कार्यकालों को, पार कर नया मील-पत्थर स्थापित कर सकते हैं। यह तभी संभव है, जब प्रधानमंत्री मोदी 2031 के बाद भी पद पर बने रहें। बहुत दूर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसा बहुत कुछ है, जो इनसान के नियंत्रण में नहीं है। दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। फिलहाल 2024 के आम चुनाव निकटस्थ हैं। विश्लेषण उन्हीं के मद्देनजर किए जाने चाहिए।

दरअसल यह राजनीतिक एकाधिकार का वैसा दौर नहीं है, जो देश की आजादी के बाद कांग्रेस और नेहरू के हिस्से आया था। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस विभाजित हुई, लेकिन पार्टी के परंपरागत जनाधार ने 'इंदिरा कांग्रेस' को ही असली कांग्रेस स्वीकार किया, नतीजतन जनादेश कांग्रेस के पक्ष में ही रहे। आज की कांग्रेस उसी दौर की पार्टी के अवशेष हैं। देश कांग्रेस-मुक्त होने के कगार पर है। सिर्फ दो राज्यों में उसकी सरकार है। विपक्ष तब बौना था, बंटा हुआ था, स्वीकृति बहुत सीमित थी और साझा गठबंधन के तब भी प्रयास किए गए थे। मुट्ठी भर सफलताएं मिलीं, लेकिन अस्थायी और अस्थिर साबित होती रहीं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी आज के राजनीतिक दौर में उतने ही ताकतवर और लोकप्रिय नेता हैं। देश के 18-20 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। मोदी की सफलता के चरमोत्कर्ष के बावजूद तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़,

राजस्थान और पंजाब राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। तमिलनाडु और केरल में तो भाजपा आज भी लगभग शून्य है। ये सभी ताकतवर राज्य हैं और उनके जनादेश के आधार भी भिन्न हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय जनादेश को प्रभावित करने में सक्षम हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह लक्ष्य पारित किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 350 सीटें जीतने के संकल्प के साथ उतरेगी। इनमें से कमोबेश 100 सीटें दक्षिण भारत के पांच राज्यों से जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। हमें यह अतिशयोक्ति लगता है, क्योंकि ऐसे किसी मुद्दे की लहर के आसार तक नहीं हैं, जो भाजपा की झोली सीटों से लबालब भर दे। बहरहाल भाजपा की यह पुरानी परंपरा रही है कि वह बड़े और असंभव-से लक्ष्य तय करती है और फिर उन्हें हासिल करने के लिए नए वोट बैंक का जुगाड़ भी करती है।

भाजपा का समंदर-सा काडर भी उसकी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, ओबीसी, मुसलमानों के वंचित तबके (खासकर पसमांदा) और मुस्लिम महिलाओं में भाजपा के नए जनाधार तैयार किए गए हैं। कार्यकारिणी में भी तय किया गया है कि पार्टी मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी में भी पैठ बनाएगी और 'स्नेह-यात्रा' का आगाज किया जाएगा। कार्यकारिणी के भाषणों में 'आदिवासी' का मुद्दा भी खूब गूंजता रहा। भाजपा-एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इसी समुदाय की हैं। दरअसल भाजपा उस स्थान को सबसे पहले कब्जा लेती है, जहां कांग्रेस का पतन होता है अथवा उभार की संभावनाएं नगण्य हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिये भाजपा दक्षिण में पार्टी के विस्तार का संदेश देना चाह रही है। अब तक वह दक्षिण में कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में बहुत कुछ नहीं कर पायी है। अब वह 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत में जनाधार बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। तेलंगाना में भाजपा की महत्वाकांक्षा की एक वजह यह भी कि राज्य गठन के बाद केसीआर ने अपनी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि शेष विपक्ष सिमटकर रह गया। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य में जो रिक्तता आई उसे भाजपा भरने की कवायद में जुटी है। भाजपा ने जहां कई मजूबत विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, वहीं केसी राव के करीबियों में भी सेंध लगाई, ताकि राज्य में टीआरएस का बेहतर विकल्प तैयार किया जा सके। यहां तक कि भाजपा ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने नेताओं को भेजकर जनता का मूड भांपने की भी कोशिश की है।

हाल में महाराष्ट्र में 'मिशन लोटस' पूरा करके भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये हैदराबाद को चुनने का मकसद मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को भी समझ में आ गया है कि भाजपा का अगला निशाना तेलंगाना है। अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को भी इस बार बड़ी चुनौती का मुकाबला करना होगा। यही वजह है कि वे नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमलावर हैं। पोस्टर, ट्विटर युद्ध के अलावा जुबानी जंग भी जारी है। यहां तक कि केसीआर प्रधानमंत्री तक को रिसीव करने नहीं गये। बहरहाल, भाजपा ने शनिवार-रविवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये हैदराबाद को भगवा रंग से तो रंग दिया, लेकिन मतदाताओं को यह रंग लुभा पायेगा, ये आने वाला वक्त बतायेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ममता बनर्जी की तरह भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिये तैयार हैं। वहीं हाल के दिनों में वे भाजपा का विकल्प तैयार करने की साझा विपक्ष की कोशिशों में सक्रिय रहे हैं।

कार्यकारिणी का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा है कि नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद हर प्रतिनिधि से गर्मजोशी से मिले और सभी के साथ चर्चा की, समस्या सुनी और समाधान के साथ विचार भी दिये। कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री के तेवरों से साफ नजर आ रहा था कि उनके नेतृत्व में भाजपा न अभी रूकेगी और नहीं थकेगी। केंद्र में अभी फिलहाल विरोधी दलों के लिए कोई जगह नहीं खाली है।

# जवाबदेही से नहीं हो कोई समझौता

प्रांजल शर्मा

*भारत में ट्विटर ने ही नहीं, फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सएप ने भी जवाबदेही लागू करने वाले नियमों को रोकने के लिए भारत सरकार के खिलाफदिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है, जिसमें नए आईटी नियमों को लागू होने से रोकने की मांग की गई है। नए नियमों के तहत वाट्सएप जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यम के लिए जरूरी हो गया है कि वह विशेष संदेशों की उत्पत्ति का स्रोत बताए। जिस तरह से नफरत या झूठ के प्रसार के लिए वाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ा है, उसे देखते हुए यह सरकार के लिए जरूरी है कि गलत सूचनाओं के स्रोतों पर लगाम लगाए। जाहिर है, इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को बाध्य करना जरूरी है।*

किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई देशों में ट्विटर, फेसबुक और बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को चुनौती मिल रही है। पिछले महीने ही ट्विटर को अमेरिकी सरकार को 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ट्विटर ने अपने यूजर्स या उपयोगकर्ताओं की निजी सूचनाओं का दुरुपयोग किया था। अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने ट्विटर पर उपभोक्ताओं की निजता के उल्लंघन का आरोप खुलकर लगाया है। एफटीसी की अध्यक्ष लीना खान ने एक बयान में कहा है कि ट्विटर की इस कारस्तानी से उसकी कमाई तो बढ़ी है, पर इससे उसके 14 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ भी ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। यूरोपीय संघ ने तो फेसबुक, ट्विटर और अमेजन सहित अन्य वैश्विक आईटी कंपनियों के खिलाफ ताजा पहल करते हुए उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए कड़ा कानून पारित किया है। डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) के अलावा यूरोपीय संघ के सांसदों ने डिजिटल सर्विसेज ऐक्ट (डीएसए) को भी मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब अवैध सामग्री की निगरानी के लिए ज्यादा जवाबदेह होने को मजबूर हो जाएंगे। दिग्गज आईटी कंपनियों ने अगर कानून का उल्लंघन किया, तो उन पर भारी जुर्माना भी लगेगा। अगर डीएमए का उल्लंघन हुआ, तो कंपनियों को अपने वार्षिक वैश्विक कारोबार के 10 प्रतिशत तक और डीएसए का उल्लंघन हुआ, तो छह प्रतिशत तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

इन कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री की जांच करनी होगी, जोखिम का मूल्यांकन करना होगा और अवैध सामग्री प्रबंधन के स्वतंत्र ऑडिट की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसी सामग्रियों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, जो वैध तो हो सकती हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकारों या अन्य सार्वजनिक हितों के लिए खतरा हैं। यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया डिजिटल मार्केट ऐक्ट एक प्रतिस्पर्द्धा केंद्रित बिल है, जिसका मकसद प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कंपनियों को अधिक पारदर्शी बनाना है। दूसरी ओर, डीएसए इस बात पर प्रकाश डालता है कि यूरोप कैसे बड़ी कंपनियों के लिए नियम तैयार करने की दिशा में मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए सख्त कदम अन्य देशों को

भी इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। अच्छे कानूनों से भारत भी सीख सकता है।

आजकल ट्विटर के समर्थक यह दिखाना चाहते हैं कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वे यह बताना भूल जाते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों द्वारा ट्विटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'सोशल मीडिया बहुत शक्तिशाली माध्यम है और इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप इसे कैसे जवाबदेह बनाते हैं, यह सवाल दुनिया में हर जगह बहुत प्रासंगिक बन गया है।' आज कोई भी कंपनी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकती। उन्हें कानून और समाज के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। गौरतलब है, भारत सरकार ने अपने निर्देशों की पालना के लिए ट्विटर को 4 जुलाई तक का वक्त दिया था। ट्विटर कंपनी को ट्विटर अकाउंट और ट्वीट्स हटाने के लिए जनवरी 2012 से जून 2021 के बीच सरकार से 17,000 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से ट्विटर ने सिर्फ 12.2 प्रतिशत अनुरोधों की ही पालना की है। ट्विटर ने लगभग 1,600 खातों और 3,800 ट्वीट्स को ही रोका है। दरअसल, ट्विटर 4 जुलाई की समय-सीमा के भीतर सरकार के सभी अनुरोधों को मानने पर सहमत नहीं था, तो उसने ऐसी मांग के लिए सरकार पर मुकदमा करने का फैसला किया।

सरकार ने ज्यादातर अनुरोध आईटी ऐक्ट के अनुच्छेद 69-ए के तहत भेजे थे। इस अधिनियम के तहत, केंद्र या उसके अधिकृत अधिकारी भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी को उकसाने से रोकने के लिए किसी सूचना को अवरुद्ध करने की मांग कर सकते हैं।

अच्छी बात है कि भारत सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वह एक अपीलीय शिकायत निवारण पैनल का गठन करेगी, जिसके पास देश के कानून के अनुरूप कंपनी के शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने की शक्ति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को दोहराया कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को देश के नियम-कायदों का पालन करना होगा। कंपनियों को न्यायिक समीक्षा की अपील का अधिकार है, लेकिन उन्हें सरकार के सभी नियमों का पालन तो करना ही होगा।

भारत में ट्विटर ने ही नहीं, फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सएप ने भी जवाबदेही लागू करने वाले नियमों को रोकने के लिए भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है, जिसमें नए आईटी नियमों को लागू होने से रोकने की मांग की गई है।

## पाठकों की बात

## पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

### तुम चाहते भी थे

तुम चाहते भी थे कि रास्ते से तुम्हारे हट जाऊँ, तो फिर क्यूँ सोचते हो कि इंतज़ार में तुम्हारे सिमट जाऊँ याद में तुम्हारी बिलख-बिलख कर रोऊँ भी ना और तुम्हारी यादों में आकर तुमको जी भरके सताऊं क्या चाहता है यार तू समझ जाए तो समझा देना मुझको भी घर जाऊँ या तेरे गले से लिपट जाऊँ। – **वर्षा गुप्ता**

### मैं अपने दिल की

मैं अपने दिल की कहता भी तो किस से यहां कौन है आखिर मेरी

सुनने वाला देखिये इस कदर घेरो में बंधा हूँ कोई छुड़ाने न आये मैं वो कदा हूँ टूटा मैं ना जाने कितनी दफा हूँ एक कशमकश का मैं कायदा हूँ जिस को छेड़ा गया है वक्त वक्त पे वो ही ज़ख्म एक वो ही ज़दा हूँ जो किया ही गया हो भूलने को आपको याद नही आपका वायदा हूँ सदियों से छीनी जा रही जमीं मेरी मैं हिन्दू हूँ, सताया गया सदा हूँ। – **मुनेश शर्मा**

### ख़ास पाती | नींद तेरे काँधे पर ही आएगी

नींद तेरे काँधे पर ही आएगी सोचा कब था चैन तू ही हो जाएगा मेरा सोचा कब था सुन ऐ संगदिल सुन टिकने को सहारे कम नहीं मिले हैं मगर हमारे लिए वे नहीं बने हैं तुम इकलौते थे हो और रहोगे भीनींद तेरे काँधे पर ही आएगी सोचा कब था चैन तू ही हो जाएगा मेरा सोचा कब था सुन ऐ संगदिल सुन टिकने को सहारे कम नहीं मिले हैं मगर हमारे लिए वे नहीं बने हैं तुम इकलौते थे हो और रहोगे भी गुमान चाहो तो कर लेना इस बात का मगर ख़याल रखना मेरी नींद का भी ज़रा। – **शुचि 'भवि'**

### तुम यूँ दुनिया में खुद को भी चर्चित

तुम यूँ दुनिया में खुद को भी चर्चित करो काम अच्छा करो, मत अनुचित करो प्यार करना है तुमको करो प्यार से जिससे करने लगो उसको सूचित करो कुछ अधूरा नहीं बीच में छोड़ना जो भी करना है तुमको समुचित करो महके जीवन तुम्हारा हरिक पल सदा पुष्प जीवन में ऐसे भी सिंचित करो प्यार अधिकार बेशक तुम्हारा भी है तुम कभी इससे खुद को न वंचित करो झूठों को चलने दो झूठ की राह पर 'मित्र' रस्ता अलग अपना निश्चित करो। – **मित्र ग़ाज़ियाबादी**

### मीत यादों के आ कर ख्यालों में

मीत यादों के आ कर ख्यालों में दीप हांथो में लेकर कि चलते हैं तनहा-तनहा से मेरे गीत कितने उनसे मलने को फिर मचलते हैं, अल्फाजों में हैं बादल की नदी आह ली ज़रा सी सिसकतीं हैं सदी शबनमी भावों की गीत नदियों से मेरे गीत गाते हुए निकलते हैं कोंपलों सी नर्म कल्पनाओं में प्रेम की जादुई भावनाओं में, भावों की सुरमई गीत गुन-गुन से दर्द के हिमखण्ड से पिघलते हैं। – **अजय कुमार सिंह भदौरिया**

### देखती हूँ जब भी, तुमको

देखती हूँ जब भी,तुमको खिलखिलाते हुए, मेरे होठें पर यों ही मुस्कान उभर आती है, बस है इसी का नाम ज़िंदगी, बाकी की उमर तो यों ही गुजर जाती है। – **अलका अग्रवाल**

### आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना एक औरत के लिए स्वाभिमान

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना एक औरत के लिए स्वाभिमान से जीने की एक महत्वपूर्ण शर्त है, ख़ासतौर पर उस समाज में जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए कामकाज के अलग अलग दायरे तय कर दिए गए हों। यहां तक कि घर के जरूरी खर्च के लिए भी धनराशि देते समय आप पर एक तरह से एहसान जताया जाता है। ऐसे में एक औरत लाचारी के साथ साथ घुटन भी महसूस करती है, जो शायद पारिवारिक रिश्तों को तहस नहस भी कर सकती है। – **सीमा भाटिया**

### तू हमेशा मेरी नज़र में हो के

तू हमेशा मेरी नज़र में हो के बग़ैर तेरे गुज़र न हो ! तिरी दीद जिसमें न हो मुझे कोई ऐसी शाम ओ सहर न हो, है दुआ फक़त मिरी तुझसे रब हो जहाँ में सुर्ख़रु ये 'वफ़ा' रहे खुश गवार ये सब जहाँ कहीं आँख कोई भी तर न हो ! – **कविता सिंह**

### मेरे ख्वाबों पे अपना हक़ बताओ

मेरे ख्वाबों पे अपना हक़ बताओ क्यूँ जताते हो मेरे दिल से मेरी ही तुम बगावत क्यूँ कराते हो मैं चाहकर भी मुझे तुमसे जुदा अब कर नहीं पाती मेरी साँसों से ये तुम कौन सा रिश्ता निभाते हो। – **पूजा बंसल**

## QUIZ TIME

1) संविधान की कौन-सा अनुसूची जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन-भत्ते का उल्लेख है?
2) दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है?
3) विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है?
4) दिल की बीमारी, जिसमें रक्तापूर्ति अपर्याप्त होती है, कहलाती है-
5) साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय किसे जाता है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) द्वितीय अनुसूची (2) प्रशांत महासागर (3) कलकत्ता (हावड़ा) (4) एंजाइना (5) जगदम्बा देवी

## आज का इतिहास

**नई दिल्ली (वार्ता)।** 1497 - वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंने के लिए यूरोप से रवाना हुए। 1693 - अमेरिका में न्यूयॉर्क पुलिस की वर्दी को मंजूरी दी गई। 1792 - फ्रांस ने प्रशिया पर युद्ध की घोषणा की। 1833 - रूस और तुर्की ने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये। 1858 - ग्वालियर के क़िले के पतन के बाद लॉर्ड केनिंग ने शांति की घोषणा की। 1889 - अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ। 1914 - पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री और वामपंथी राजनीति के आधार रहे ज्योति बसु का जन्म। 1918 - भारतीय संविधान में सुधार के लिए मांटेग्यु चेम्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई। 1930 - किंग जॉर्ज वी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। 1932 - अमेरिकी शेयर सूचकांक डाऊ जोंस ग्रेट डिप्रेशन के निचले स्तर 41 अंक पर पहुंच गया। 1948 - अमेरिकी वायुसेना में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। 1954 - तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का उद्घाटन किया। 1972 - भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्?म। 1975 - म्यांमार के बगाँ में आए भूकंप में हज़ारों मंदिर ध्वस्त हो गए तथा भारी जानमाल की क्षति हुई। 1994 - शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 2001 - बंगलादेश के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल ने 17 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ा। 2002 - दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त।

# इंडिया टुडे के सर्वे में एम्स देश का 31वां सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज

- गत वर्ष के 35वें स्थान से पहुंचा 31वें स्थान पर, वर्ष 2000 के बाद स्थापित कॉलेजों में 6वें नंबर पर
- गुणवत्तापूर्ण अकादमिक वातावरण, अत्याधुनिक संसाधनों और आधारभूत संरचना पर मिली रैंक

**रायपुर/नवप्रदेश।** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर को इंडिया टुडे और प्रमुख मार्केट रिसर्च कंपनी मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स (एमडीआरए) के संयुक्त सर्वे में देश का 31वां सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है। एम्स में गुणवत्तापूर्ण अकादमिक वातावरण, अत्याधुनिक संसाधनों और आधारभूत संरचना की वजह से यह रैंक प्रदान की गई है। मध्य भारत में एम्स रायपुर ही एकमात्र

मेडिकल कालेज है जिसे सर्वे के प्रथम 35 मेडिकल कालेज में स्थान प्राप्त हुआ है। एम्स दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख मीडिया समूह इंडिया टुडे की ओर से किए गए सर्वे में 14 अकादमिक कोर्सेज में सर्वश्रेष्ठ कालेजों की पहचान की गई जिसमें चिकित्सा विज्ञान भी शामिल है। इसमें इंटेक क्वालिटी और गर्वनेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, आधारभूत संरचना, कैंपस में रहने और प्रगति करने का अनुभव, व्यक्तित्व विकास और करियर सहित विभिन्न पैरामीटर के आधार पर एम्स रायपुर को कुल 2000 में से 1307.2 स्कोर प्राप्त हुआ। इस आधार पर एम्स रायपुर को 31वां स्थान प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त सर्वे में सरकारी मेडिकल कालेज में सबसे कम फीस (पांच वर्ष के लिए 5856 रुपये) के आधार पर एम्स रायपुर को चौथे स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2000 के बाद स्थापित मेडिकल कालेज की श्रेणी में एम्स रायपुर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने इस उपलब्धि पर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उनका कहना है कि मध्य भारत से एम्स रायपुर का यह स्थान प्राप्त करना उल्लेखनीय उपलब्धि है। एम्स भविष्य में भी अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं, लैब और अनुसंधान के माध्यम से छत्तीसगढ़ में फैली विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। डीन (अकादमिक) प्रो. आलोक सी. अग्रवाल ने इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।

# मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी आदि को जीएसटी में लाने से आम आदमी होगा प्रभावित

- 'प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन देकर व्यापारी करेंगे इस निर्णय को वापस लेने की मांग

**रायपुर/नवप्रदेश।** छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल एवं कैट के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, महामंत्री सुरिन्दर सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सीजी चेप्टर के संयुक्त तत्वाधान में 'व्यापार सम्मेलन' चेम्बर कार्यालय चै. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट रायपुर में आयोजित की गई।

व्यापार सम्मेलन में मुख्य अतिथि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, अध्यक्षता- प्रवीण खंडेलवा, राष्ट्रीय महासचिव एवं विशेष अतिथि सुमीत अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय सचिव सुमीत अग्रवाल, चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि जीएसटी कॉउंसिल ने गत 28-29 जून को अपनी मीटिंग में किसी भी प्रकार का मार्का लगे हुए खाद्यान्न, बटर, दही, लस्सी आदि को 5 प्रतिशत के कर स्लैब में लाने को देश के आम नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना बताते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं अन्य खाद्यान्न संगठनों ने कहा कि यह निर्णय छोटे निर्माताओं एवं व्यापारियों के मुकाबले बड़े ब्रांड के व्यापार में वृद्धि करेगा और आम लोगों द्वारा उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को महंगा करेगा। अब तक ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि को जीएसटी से छूट दी गई थी। कॉउन्सिल के इस निर्णय से प्री-पैक, प्री-लेबल वस्तुओं को अब जीएसटी के कर दायरे में लाया गया है। अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्नों जैसे आटा, पोहा इत्यादि पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी का प्रावधान किया गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय सचिव सुमीत अग्रवाल, चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि इस मामले पर सभी राज्यों की अनाज, दाल मिल सहित अन्य व्यापारी संगठन अपने-अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापिस लेने का आग्रह करेंगे। बेहद खेद की बात है कि सभी राज्यों ने जीएसटी काउन्सिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। ऐसा लगता है कि किसी भी वित्त मंत्री ने इस बारे में विचार नहीं किया कि छोटे शहरों एवं अन्य जगह के व्यापारी किस प्रकार इस निर्णय की पालना कर पाएँगे तथा इस निर्णय का वित्तीय बोझ आम लोगों पर किस प्रकार से पड़ेगा।

## हवाई यात्रा करने वाले भाजपा सांसदों को रेल यात्रियों की चिंता नहीं : कांग्रेस

**रायपुर/नवप्रदेश।** छत्तीसगढ़ के प्रमुख ट्रेनों को और 14 दिनों के लिए कैंसिल करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि हवाई यात्रा एवं लग्जरी गाड़ियों में सफ र करने वाले भाजपा नेताओ और सांसदों को ट्रेन बन्द होने से परेशान रेल यात्रियों की चिंता नहीं है। बीते 2 माह से अधिक समय हो चुका है जब छत्तीसगढ़ के लोकल और प्रमुख ट्रेनों को बिना सूचना अचानक रद्द करने का आदेश जारी कर दिया जाता है जिसके चलते छत्तीसगढ़ के लाखों रेलयात्री जो लोकल ट्रेन से रोज़मर्रा के कामकाज शासकीय कर्मचारी, निजी कामों और स्कूल कालेज, आसपास के शहरों में रोजी मजदूरी करने जाते हैं उन को खासी दिक्कतों का सामना करना

पड़ा है एवं छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेश जाने के लिए तीर्थयात्रा, पारिवारिक कार्यक्रम में सुख-दुख में शामिल होने रिश्ते नातेदारों से मिलने पहले से टिकट आरक्षित कराएं यात्रियों को भी टिकट कैंसिल होने के बाद यात्रा में करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर ट्रेन को बंद कर दिया गया है पहले से आरक्षित टिकटों को कैंसिल कर दिया गया है दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल की महंगी कीमत एवं सड़कों पर वसूले जाने वाले भारी भरकम टोल टैक्स के चलते आम व्यक्ति निजी वाहन या टैक्सी किराये पर लेकर यात्रा भी नहीं कर पा रहे है। इस भारी भरकम महंगाई में सिर्फ रेलयात्रा ही संभव है।

### यूपीएससी द्वारा आयोजित कम्बाईण्ड मेडिकल सर्विस परीक्षा 17 जुलाई को

**रायपुर/नवप्रदेश।** संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित कम्बाईण्ड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2022 की परीक्षा 17 जुलाई को दो पालियों में आयोजित की जायेगी। प्रथम पाली सबेरे 9.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जायेगी। परीक्षा में 496 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु डिप्टी कलेक्टर सुश्री रूचि शर्मा, को सहायक को-ऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किया है।

### तारमिस्त्री परीक्षा 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जायेगी

**रायपुर/नवप्रदेश।** तारमिस्त्री परीक्षा जुलाई 2022 की परीक्षा 12 जुलाई से 15 जुलाई तक सबेरे 9 से शाम 5 तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माना रायपुर में आयोजित की गई है। कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त पात्र आवेदकों को प्रवेश पत्र एवं अपात्र आवेदकों की अस्वीकृति सूचना पत्र डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

### राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 की तैयारी, सुरक्षा व सुव्यवस्थित संपादन हेतु समीक्षा बैठक संपन्न

**रायपुर/नवप्रदेश।** राष्ट्रपति निर्वाचन 2022- की तैयारी, सुरक्षा व सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न संपादन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री भुवनेश यादव की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।

## जीएसटी के कारण कैंसर की दवाइयां और जीवन रक्षक दवाइयां महंगी हुई : मोहन

- जीएसटी से रोजमर्रा के सामान और उपयोगी सामान महंगे

**रायपुर/नवप्रदेश।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के वन नेशन वन टैक्स जीएसटी यानि गब्बर सिंह टैक्स लागू होने के पहले के जो आवश्यक वस्तुओं के दाम थे उसमें गब्बर सिंह टैक्स लागू होने के बाद भारी बढ़ोत्तरी हुई है। 23 रू. किलो का आटा 30 रू. किलो मिल रहा है। कैंसर बीमारी में उपयोग होने वाली जीवन रक्षक दवाई ब्रोटोजोमाइट जिसकी कीमत 11,160 रु. थी वो गब्बर सिंह टैक्स लगने के बाद 17 हजार रुपये में मिल रही है। डोलो क्रोसिन जिसकी कीमत 14 रु. पर स्ट्रिप था वो अब 20 रु. में मिल रही है। 60 रु किलो का डिटर्जेंट पाउडर 100 रू. प्रति किलो मिल रहा है, 400 रू. की चप्पल 500 रू. मिल रहा है, 105 रू. किलो की कुकिंग ऑयल 216 रू किलो मिल रहा है। कॉटन शर्ट रेडीमेड जो नॉर्मल एवरेज 550 में प्रति यूनिट था आज 700 रु. हो गया है, साबुन की टिकिया 16.50 रू. पैसे से बढ़कर 30 रू. हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जीएसटी लागू करने के दौरान जिस प्रकार से मोदी भाजपा की सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में एकरूपता और सस्ती होने की बात कही गई थी वह कहीं पर नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में महंगाई चरम सीमा पर है।

## कलेक्टर ने खुलवाई अलमारी, निकले बिना दर्ज किए राजस्व केस

- कलेक्टर डॉ भुरे ने किया निरीक्षण, रीडर की एक वेतन वृद्धि रोकने के दिए निर्देश

**रायपुर/नवप्रदेश।** कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे कार्यालय निरीक्षण पर आज तिल्दा तहसील पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में राजस्व प्रकरणों और रिकॉर्ड का औचक निरीक्षण किया। डॉ भुरे ने अविवादित नामातंरण, अविवादित बंटवारा, अविवादित सीमाकंन से लेकर किसान किताब बनाने जैसे कामों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। इस दौरान जब कलेक्टर ने तहसीलदार कोर्ट में रीडर की बंद अलमारी खुलवाई तो उससे कई

ऐसे राजस्व प्रकरण मिले जिन्हे ई-कोर्ट में निपटारे के लिए दर्ज ही नहीं किया गया था। कलेक्टर ने रीडर श्री गणेश राम दिलहरे से इन प्रकरणों को दर्ज नही करने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व प्रकरण प्राप्त होते ही उसे ई-कोर्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। राजस्व प्रकरणों को निपटारे के लिए ई-कोर्ट में दर्ज नही करते हुए उन्हें कार्यालय में बिना दर्ज किए लंबित रखने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। डॉ भुरे ने शासकीय काम में लापरवाही और शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर तहसीलदार तिल्दा के रीडर श्री गणेश राम दिलहरे को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश एस.डी.एम श्री प्रकाश टंडन को दिए। उन्होंने एस.डी.एम को अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अपने दौरे पर नगर पालिका परिषद तिल्दा कार्यालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से क्षेत्र में संचालित योजनाओं तथा किए जा रहे निर्माण कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। सी.एम.ओ ने नगर पालिका क्षेत्र में बनी दुकानों का भूमि आधिपत्य नही मिलने के कारण दुकानों का बिक्री नही हो पाने की समस्या बताई। सी.एम.ओ ने एस.आर.एल.एम सेंटर और सब्जी मार्केट में दुकानों की भूमि आधिपत्य नही होने की जानकारी दी। डॉ भुरे ने इन प्रकरणों पर गंभीरता से निरीक्षण करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश एस.डी.एम को दिए।

# अब स्कूलों में शनिवार को बच्चे खेल-खेल में करेंगे पढ़ाई

- बिना बस्ते के जाएंगे स्कूल, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

**रायपुर/नवप्रदेश।** स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल-खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस डे में होगा। प्रायमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद सांस्कृतिक आदि गतिविधियां करायी जाएंगी। इस नए कदम से बच्चों को स्कूल आने के प्रति रूचि जागृत होगी वहीं उन्हें स्कूल से जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी। बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी।

### शनिवार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे

जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि बेगलेस डे के दिन स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना के बाद अलग -अलग कालखण्ड में योग एवं व्यायाम, एक दूसरे से सीखना समूह अधिगम, क्रीड़ा एवं पुस्तकालय, एक दूसरे से सीखना एवं समूह कार्यक्रम, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधि होगी। कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य-शिक्षा, कला-शिक्षा, पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों के गतिविधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

### पूर्वायोजना बनाएंगे प्राचार्य व एचएम

प्रत्येक प्राचार्य एवं प्रधानपाठक अपने स्कूल के लिए माह के प्रत्येक शनिवार की गतिविधियों की पूर्वायोजना बनाएं और इसे सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जाएगा। शनिवार की विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए या बनाए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शकों के नाम का डिसप्ले, विद्यार्थियों की कृतियों जैसे कि ड्राईंग, पेंटिंग, निबंध, कलाकृति का प्रदर्शन। साहित्यिक गतिविधि में वाचन अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विभूतियों, भारतीय संविधान, हम भारत के लोग, शारीरिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि को शामिल किया गया हैं। कहानी-कथन के अलावा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, तात्कालीक भाषण, प्रश्नमंच, समूह परिचर्या आदि। निबंध, कविता, कहानी, संवाद लेखन, और चार्ट निर्माण प्रतियोगिता आयोजित करने कहा गया है।

### सांस्कृतिक धरोहर के परिचित कराएंगे

स्कूलों में सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत रंगोली, मेहंदी, पुष्प सज्जा, ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाया जाए। लोग गीत, लोक नृत्य, लोक कथा, नाटक-मंचन, अभिनय, एकल अभिनय, देशभक्ति गीत, गायन-वादन की गतिविधि की जा सकती हैं। बच्चों को सांस्कृतिक धरोहर के परिचित कराया जाए। बच्चों को लोक कला संस्कृति से जुड़े स्थानीय कलाकारों से परिचित कराएं। इन कलाकारों द्वारा अपनी कला की प्रस्तुति भी दी जाए। स्कूलों में बाल संसद और बाल मेला का आयोजन किया जाए। पुस्तकालय के अंतर्गत मुस्कान पुस्तकालयों का पठन बच्चे करें। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर शिक्षकों और समूह के साथ चर्चा की जाए। क्रीड़ा गतिविधि के अंतर्गत स्थानीय खेल का आयोजन संस्था में उपलब्ध संसाधन के अनुसार किया जाए।

### स्थानीय विभूतियों से कराएंगे अवगत

स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों, उद्यमियों, विभिन्न विभागों में कार्यरत नौकरी पेश व्यक्तियों को विद्यालय में बुलाकर उनके कार्यों से अवगत कराएं और बच्चों को इन कार्यों के लिए प्रेरणा दें। कृषि, जल, पर्यावरण, ऊर्जा, पशु संरक्षण एवं संवर्धन पर परिचर्चा आयोजित की जाए। गणित क्लब, विज्ञान क्लब, अंग्रेजी क्लब आदि की गतिविधियों का आयोजन किया जाए और इन पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इस संबंध में मॉडलों का निर्माण एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। बच्चों को प्रत्येक स्तर के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में जागृत और प्रेरित किया जाए। बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए कैरियर एंड काउंसिलिंग के सत्र आयोजित किया जाए।


**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. नं. 202206100400626

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मनीष कुमार साहू अन्य 01 आ. पूनाराम साहू निवासी उरला के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 531/2 रकबा 0.0170 हें/ 1851 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

**नाम परिवर्तन**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती मीना राजपूत पति गोपाल सिंह दॉगी, उम्र ... वर्ष ... जाति राजपूत (सामान्य जाति) निवासी मकान नं 542 वार्ड नं. 36 गंजपारा दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की हूं। मेरी पुत्री कुमारी कृतिका दॉगी आ. गोपाल सिंह राजपूत वर्तमान में नाबालिक है जिसकी जन्मतिथि 25/11/2010 है। पूर्व में मेरी पुत्री का नाम शैक्षणिक, शासकीय व अर्धशासकीय एवं अन्य संपूर्ण अभिलेखों/दस्तावेजों में घरेलू नाम केशर राजपूत अंकित है जिसे आगे भविष्य में मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र एवं पिता के आधार कार्ड में उल्लेखित वास्तविक व सही परिवर्तित/संशोधित नाम कुमार कृतिका दॉगी संपूर्ण अभिलेखों में रख ली हूं अब मेरी पुत्री अपने परिवर्तित नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती है।

अतः जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों एवं दस्तावेजों मे मरी पुत्री का घरेलू नाम केशर राजपूत आ. गोपाल सिंह राजपूत है जिस आगे भविष्य में मैं अपने पुत्री के शैक्षणिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों एवं दस्तावेजों में जन्म प्रमाण के अनुसार सही व वास्तविक परिवर्तित/ संशोधिक नाम कृतिका दॉगी आ. गोपाल सिंह दॉगी लिखना चाहती हूं।

शपथकर्ती, मीना राजपूत

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा-पत्र**

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री टिकेन्द्र कुमार साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400020

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री टिकेन्द्र कुमार साहू आ. श्री नीलकंठ साहू निवासी ग्राम पुरई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

| ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है | खसरा नंबर | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|
| ग्राम पुरई प.ह.न. 40 तह. व जिला दुर्ग | 1255/88 | 0.0154 हें 1665 वर्गफीट | आवासीय |

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला**

क्रमांकः 20220610100016/202206101000168

विषयः अ-74 सन्- 2020-2021

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

जामुल प.ह.न. 00018

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / रामविक्ष अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राममृक्ष पिता फूलचंद पता भिलाई द्वारा ग्राम ग्राम जामुल प.ह.नं.-19 रा.नि.मं. जामुल तह. व जिला दुर्ग स्थिति भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नं. 457/10 रकबा 0.140 हे. भूमि रामवृक्ष पिता फूलचंद के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका प्रदाय किए जाने बाबत न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि का डुप्लिकेट ऋण पुस्तिका प्रदान के जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 11/7/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22/6/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार, भिलाई (छ.ग.)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. नं. 202206100400595

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती नेम बाई पति स्व. अरूण कुमार साहू निवासी वार्ड नं.1 नयापारा दुर्ग के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/97 रकबा 0.035 हें/ 3810 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. नं. 202206100400596

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक कमल नारायण आ. स्व. भुवन लाल साहू निवासी वार्ड नं.1 नयापारा दुर्ग के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/101 रकबा 0.032 हें/ 3480 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

**नाम परिवर्तन**

मैं आशा साहू आ. बलवन्त साहू उम्र-34 वर्ष निवासी कातुलबोर्ड चौक वार्ड-59 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की निवासी हूं। मेरे पुत्र का पुराना नाम सूर्यांश साहू है जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है और पूर्व में इसे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता था। अब मैने अपने पुत्र का नाम आरव रख लिया है एवं भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेज, सरकारी, गैर सरकारी, संस्था में उसका नया नाम आरव दर्ज कर इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा। आज से मेरे पुत्र का पूर्व नाम सूर्यांश साहू को बदलकर उसका नया नाम आरव कराना चाहती हूं। इस संबंध में मेरे द्वारा नाम परिवर्तित बाबत छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन कराना चाहती हूं।

शपथकर्ती, आशा साहू

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. नं. 202206100400600

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रमेश कुमार साहू आ. स्व. भुवन लाल साहू निवासी वार्ड नं.1 नयापारा दुर्ग के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/100 रकबा 0.041 हें/ 4460 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

## न्यूज गैलरी

### तंग गलियों का आयुक्त ने किया निरीक्षण

**भिलाई नगर (नव प्रदेश)।** नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आज अल सुबह 7:00 बजे निगम के कैंप क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान नाली सफाई देखी, कई जगहों पर सड़क के किनारे पड़े कचरे को सफाई करने के निर्देश दिए, रोड स्वीपिंग के कार्यों को उन्होंने देखा। वहीं उन्होंने रहवासियों से पब्लिक फीडबैक भी लिया। कैंप क्षेत्र के नेहरू चौक से लेकर जलेबी चौक तक तथा जलेबी चौक से वापस आकर गलियों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे। इस दौरान आसपास की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। कुछ जगहों पर उन्हें सड़क के किनारे कचरे दिखाई दिए, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सड़क किनारे से कचरे को हटाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि रूटिंग सफाई के दौरान सड़कों के किनारे से विशेष सफाई होनी चाहिए। सुभाष चौक से होते हुए रामनगर मुक्तिधाम के समीप तालाब में पहुंचे। यहां तालाब के किनारे कचरा होने पर उन्होंने कहा कि तालाब के किनारों से संपूर्ण कचरे को हटाकर सफाई करावे। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कोई भी डंपिंग साइट नहीं है। इस पर आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि एसएलआरएम सेंटर का प्रपोजल इस क्षेत्र के लिए तैयार करें ताकि घरों से निकलने वाले कचरे का निपटान वही ऑन द स्पॉट किया जा सके।

### संयंत्र में सड़क सुरक्षा पर विशेष अभियान आज, मोबाइल वैन ने राजहरा का भ्रमण किया

**भिलाई (नव प्रदेश)।** भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के निर्देशानुसार स्टील अथॉरिटी ऑफइंडिया लिमिटेड के सभी इस्पात संयंत्रों की इस्पात नगरी में आईकॉनिक वीक का आयोजन 04 से 10 जुलाई, 2022 के मध्य किया जा रहा है। इस वीक के तहत संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संयंत्र परिसर में सड़क सुरक्षा पर आज विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही संयंत्र के जनसंपर्क विभाग और सीएसआर विभाग द्वारा निर्मित चलित प्रदर्शनी की वैन ने इस्पात नगरी के स्कूलों के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचलों का भ्रमण किया और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता लाने और इनका उपयोग न करने की जानकारी प्रचारित की। भिलाई इस्पात संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 8 जुलाई को संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस, ऊर्जा प्रबंधन विभाग और फाउण्ड्री शॉप में सड़क सुरक्षा पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अतिरिक्त दिनभर संयंत्र के सभी जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर रोको-टोको अभियान और सुरक्षा वैन के माध्यम से रोड सेफ्टी पर सावधानी रखने और दुर्घटना से बचने की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

### मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में संभाग के पांचों जिलों के वर्मी कंपोस्ट का हो रहा विश्लेषण

**दुर्ग (नव प्रदेश)।** संभागायुक्त महादेव कावरे रूआबांधा स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पहुंचे। यहां संभाग के पांचों जिले के वर्मी कंपोस्ट के सैंपल मंगवाये गये हैं। इनके विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। इनके विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष खेती किसानी के हित के लिए विशेष उपयोगी होंगे। संयुक्त संचालक कृषि राजेश राठौर ने बताया कि प्रयोगशाला में तेजी से वर्मी कंपोस्ट के नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनांतर्गत गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट के गुण नियंत्रण का दायित्व संभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को दिये जाने के निर्देश के परिपालन में वर्ष 2020 से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रूआबांधा में वर्मी कम्पोस्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2020-21 में 1021, वर्ष 2021-22 में 1082 एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 मे आज दिनांक तक 141 तथा अब तक कुल 2244 वर्मी कम्पोस्ट नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है।

---

**कलेक्टर ने गौठान में हो रहे कार्यों के लिए महिला समूहों की प्रशंसा की**

# मोहलाई की एसएचजी दीदियां बढ़ी आर्थिक स्वावलंबन की राह पर आगे

नव प्रदेश संवाददाता

**दुर्ग।** मोहलाई में एसएचजी दीदियों ने अनेक आजीविकामूलक गतिविधियों को अपनाकर स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है और निरंतर इस राह में आगे बढ़ रही हैं। आज कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा भी मोहलाई के गौठान में हो रहे कार्यों को देखने पहुंचे। उन्होंने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत स्वसहायता समूहों को सदस्यों को शासन द्वारा दी जाने वाली राशि का चेक भी सौंपा। यह राशि गिर और साहीवाल जैसी प्रजाति के मवेशियों को खरीदने के लिए अनुदान स्वरूप दी गई है। इस मौके पर स्वसहायता समूहों की दीदियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियां विस्तारित हों। गौठान के पशुओं का नस्ल संवर्धन हो। इस दिशा में सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना काफी महत्वपूर्ण है। गिर और साहीवाल जैसी प्रजाति के मवेशियों से दुग्ध उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ पशुपालन पर विशेष रूप से फोकस कर किसान अपनी आय में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। यहां की स्वसहायता समूह की महिलाओं की दीदियों ने अपना काम कलेक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि वे परंपरागत रूप से बड़ी बिजौरी और अचार आदि का उत्पादन कर रही हैं। इसके साथ ही गौठान में उन्होंने मिनी राइस मिल भी डाल लिया है। साथ ही तालाब में मछली पालन किया जा रहा है। दीदियों ने बताया कि हम लोग तेजी से नई गतिविधि अपना रही हैं। जैसे गौठान में मशरूम उत्पादन के लिए शेड भी तैयार कर लिया है। कलेक्टर ने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों का निर्माण करें। साथ ही इसकी बाजार तक पहुंच के लिए भी कार्य करें। अपने उत्पादों की जितनी अधिक ब्रांडिंग करेंगी, आपकी कमाई उतनी ही बढ़ जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने सी-मार्ट आदि के माध्यम से महिला स्वसहायता समूहों के उत्पादों के डिस्प्ले के लिए बेहतरीन मार्केट उपलब्ध कराया है। पहले आप लोगों को बाजार के चिन्हांकन में काफी दिक्कत होती थी। अब शहर के केंद्र में सी-मार्ट है और वहां आपके उत्पाद उपलब्ध हैं। अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर तो ध्यान रखें ही, साथ ही इसकी पैकेजिंग आदि पर ध्यान भी दें। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन को गौठान की एसएचजी दीदियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए भी कहा ताकि इससे उन्हें अपने उत्पादों के निर्माण, मार्केटिंग और विपणन की व्यापक समझ बन सके। इस संबंध में किये गये कार्यों की जानकारी कलेक्टर को दी।

---

# प्रतिबंधित पॉलीथिन की कार्यवाही लगातार जारी

■ कार्यवाही के दौरान पॉलीथिन पाए जाने पर जब्ती के साथ जुर्माना की भी कार्यवाही होगी : आयुक्त

नव प्रदेश संवाददाता

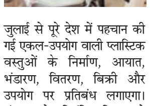

**दुर्ग।** भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू होगा। सरकार ने 75 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाया गया है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटम की पूरी तरीके से पाबंदी होने के बाद आज निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने स्वयं अतिक्रमण विभाग अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, बाजार विभाग अधिकारी थानसिंग यादव, सहायक बाजार प्रभारी ईश्वर वर्मा एवं टीम के साथ इंद्रिरा मार्केट क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों एवं सब्जी पसरा व ठेले खोमचे पर छापे मार करवाई की, आज निगम प्रशासन 31 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 जुलाई से पूरे देश में पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। मंत्रालय ने प्रतिबंधित किए जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची जारी की, जिनके उपयोग पर रोक लगाई जानी है। मंत्रालय ने कहा 'पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल- उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा।कार्यवाही के दौरान निगमायुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने व्यापारिक संगठनों, आम नागरिकों, खरीदारों, फु टकर विक्रेताओं से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करें। 01 जुलाई से दुर्ग निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर लगातार कार्यवाही जारी है।

---

## निगम आयुक्त ने नेहरू नगर जोन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

नव प्रदेश संवाददाता

**भिलाई नगर।** निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ज्वाइन करने के बाद से लगातार शहर का निरीक्षण कर रहे हैं वही प्रशासकीय कार्यप्रणाली से वाकिफ होने जोन कार्यालयों का भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज निगम आयुक्त ने नेहरू नगर जोन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। सभी कार्यालयीन स्टाफ से उनके कार्यों को लेकर अवगत हुए। विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी जोन आयुक्त से ली। आयुक्त ने बारिश में जलभराव की स्थिति से निपटने की कार्य योजना के बारे में पूछा और किसी भी स्थिति से उबरने के लिए तैयार रहने कहा। उन्होंने कहा कि जो कार्य बारिश के दौरान हो सकते हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कर ले। प्राथमिकता तय कर कार्य करें और ऐसे कार्य जो नितांत आवश्यक है उन पर विशेष फोकस रखें। नागरिकों से जुड़ी हुई छोटी-छोटी समस्याओं जो जरूरी है उनका त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं तथा स्वच्छता को लेकर प्रतिदिन सुबह अपनी टीम के साथ मॉर्निंग विजिट करें। इनोवेटिव कार्य पर फोकस रखे और पूर्व के फोटोग्राफ्स तथा बाद के अच्छे कार्य के फोटोग्राफ भी रखे। सामुदायिक शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश उन्होंने जोन आयुक्त को दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें तथा जो कार्य अप्रारंभ है उन्हें प्रारंभ करावे। आगे उन्होंने पट्टा एवं राशन कार्ड पर समीक्षा ली तथा संपत्तिकर वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

### पालकों के सुविधा के लिए शिक्षा विभाग में होगा हेल्पडेस्क

**दुर्ग (नव प्रदेश)।** शिक्षा के अधिकार के तहत् प्रवेश की प्रक्रिया के लिए पालकों को ऑनलाईन आवेदन में सहयोग के लिए शिक्षा विभाग ने जिला कार्यालय में हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है। यदि पालक को ऑनलाईन आवेदन के अलावा अन्य असुविधा भी है तो वह अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कार्यालय शिक्षा विभाग में संपर्क कर सकते हैं। 01 जुलाई से 15 जुलाई तक द्वितीय चरण का प्रवेश हेतु निर्धारण किया गया है। जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों को क्षेत्रांतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का सूक्ष्मता से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। लॉटरी के उपरांत दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में सम्बंधित नोडल अधिकारी की जवाबदेही होगी। यदि पालक निर्धारित समयावधि के पूर्व तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

---

**जनता की मांग पर विधायक देवेंद्र यादव ने की पहल**

# सौर ऊर्जा से रौशन होगा बापूनगर से अस्पताल तक का सड़क मार्ग

नव प्रदेश संवाददाता

**भिलाई।** बापू नगर स्थिति अस्पताल जाने का मार्ग जल्द ही सौर ऊर्जा से चलित एलईडी लाईट से जगमगाएगा। जल्द ही इस मार्ग पर सौर ऊजा से चलने वाली एलईडी लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। करीब 10 लाख की लागत से एलईडी लाइट लगाई जाएगी।

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से लाइट लगाई जाएगी। कुछ माह पहले भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भेंट मुलाकात करने के लिए बापू नगर गए थे। तब उन्होंने लोगों से मुलाकात कर वार्ड की विभिन्न समस्याओं के विषय पर चर्चा की थी। इस दौरान वार्डवासियों ने बताया था कि वार्ड में एक चिकित्सा केंद्र है। इस अस्पताल जाने वाले मार्ग बापू नगर एवं लक्ष्मीनारायण वार्ड के मध्य का रोड है। जहां रात के समय में अंधेरा पसरा रहता है। लाइट की सुविधा नहीं है। इस वजह से रात में यहां से आने वाले लोगों को बड़ी समस्या होती है। जनता की मांग पर विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की और 10 लाख की लागत से सौर ऊर्जा से चलित लाईट लगाने की घोषणा की थी। विधायक श्री यादव ने क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत करवाये है।

**जल्द होगा काम शुरू**

**जनता की मांग पर सौर ऊर्जा से चलने वाली एलईडी लाइट लगाई जाएगी। करीब 10 लाख की लागत से लगाया जाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इससे क्षेत्र के नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा।**

देवेंद्र यादव, विधायक
भिलाई नगर

---


### नाम-परिवर्तन

मैं शपथकर्ता राजेश कुमार (आर्मी नं. 14438518F , रैंक हवलदार (मनर)) पिता श्री कलीराम साहू उम्र-40 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम कुथरेल, तह. दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग. का हूं। भारतीय थल सेना में रहकर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी माता का नाम त्रुटिवश MELANTEEN BAI व जन्म तिथि 01/07/1956 दर्ज है। जबकि मेरी माता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरी माता का सही नाम MILNTIN BAI SAHU व जन्म तिथि 01/01/1955 दर्ज है। मैं उक्त सर्विस रिकाड्र में अपनी माता का सही नाम MILNTIN BAI SAHU व जन्म तिथि 01/01/1955 को दर्ज करवाना चाहता हूं। मेरी माता का सही नाम MILNTIN BAI SAHU व जन्म तिथि 01/01/1955 है जिसके सत्यता के समर्थन में यह शपथ पत्र श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

मुहर — शपथकर्ती राजेश कुमार

### नाम-परिवर्तन

मैं रूपेन्द्र कुमार चंद्राकर पिता श्री फूल सिंह चंद्राकर, उम्र-42 वर्ष निवासी चंद्राकर किराना स्टोर्स के पास सुभाष नगर वार्ड-42 थाना पद्मनाभपुर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का हूं। मैं 10 डेन्टल यूनिट असम राईफल्स में हवलदार असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हूं। जिसके समस्त सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम RUPENDRA KUMAR CHANDRAKER दर्ज हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम RUPENDRA KUMAR CHANDRAKAR दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है। इस प्रकार से मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज नाम/स्पेलिंग RUPENDRA KUMAR CHANDRAKER के स्थान पर अपना नाम/स्पेलिंग RUPENDRA KUMAR CHANDRAKAR दर्ज करवाना चाहता हूं जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

मुहर — शपथकर्ती रूपेन्द्र कुमार चंद्राकर

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र- //अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयंत कुमार साहू पिता टीकाराम साहू निवासी ग्राम सिविक सेंटर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 492/81 रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार टीकाराम साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27/6/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) व्यक्तिगत सूचना

मा.क्र- 202201160700100//अ-06/वर्ष 2020-21

प्रति, सुकलिया बाई/ रामाधीन साहू साकिन केलाबाड़ी कसारीडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग।

विषय- क्रय/विक्रय शुदा भूमि का नामांतरण बाबत्।

आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम कसारीडीह प.ह.न 25 (अ) तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1001/5/8 का रकबा 0.004 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय दिनांक 11/1/79 के द्वारा आवेदक के पास विक्रय किया गया है। आवेदक क्रेता श्रीमती बीबी खातुन ध.प. स्व. शेख सादुल्लाह के द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 13/7/22 को नियत है। अतः आप नियत सुनवाई दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा पेश कर सकते है। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 27/6/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### नाम-परिवर्तन

मैं शपथकर्ती पूजा चंद्राकर उम्र-38 वर्ष पति रूपेन्द्र कुमार चन्द्राकर निवासी चंद्राकर किराना स्टोर्स के पास सुभाष नगर वार्ड-42 थाना पद्मनाभपुर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का हूं। मैं 10 डेन्टल यूनिट असम राईफल्स में हवलदार डेन्टल असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हूं। जिसके समस्त सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम PAVANI CHANDRAKAR दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम/स्पेलिंग PAWANI CHANDRAKAR दर्ज है जो सत्य व सही है। इस प्रकार मेरी पति के सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री का दर्ज नाम PAVANI CHANDRAKAR के स्थान पर अपनी पुत्री का सही नाम PAWANI CHANDRAKAR दर्ज करवाना चाहती हूं। जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करती हूं।

मुहर — शपथकर्ती पूजा चंद्राकर

### न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 202206101500075//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. जगवाराम उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-02 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा अनावेदक मनराखन पिता कोदूराम के नाम पर दर्ज ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 340/2 रकबा 0.27 हे. को क्रय कर प्रमाणीकरण पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होना किन्तु ऑनलाईन कम्प्यूटर रिकार्ड में अनावेदक के नाम पर ही दर्ज होने से अपने नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किए जाने बाबत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. गजवरा उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-2 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तापुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/07/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 202206101500074//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. जगवाराम उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-02 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा अनावेदक कुंजलाल आ. मनीराम के नाम पर दर्ज ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 334/2 रकबा 0.17 हे. को क्रय कर प्रमाणीकरण पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होना किन्तु ऑनलाईन कम्प्यूटर रिकार्ड में अनावेदक के नाम पर ही दर्ज होने से अपने नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किए जाने बाबत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. गजवरा उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-2 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तापुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/07/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 202206101500076//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. जगवाराम उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-02 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा अनावेदक मधूराम आ. तिजउ के नाम पर दर्ज ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 338 रकबा 0.18 हे. को क्रय कर प्रमाणीकरण पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होना किन्तु ऑनलाईन कम्प्यूटर रिकार्ड में अनावेदक के नाम पर ही दर्ज होने से अपने नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किए जाने बाबत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. गजवरा उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-2 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तापुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/07/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 202206101500073//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. जगवाराम उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-02 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा अनावेदक कुंजलाल आ. मनीराम के नाम पर दर्ज ग्राम कोपेडीह प.ह.नं. 07 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 334/1 रकबा 0.13 हे. को क्रय कर प्रमाणीकरण पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होना किन्तु ऑनलाईन कम्प्यूटर रिकार्ड में अनावेदक के नाम पर ही दर्ज होने से अपने नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किए जाने बाबत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण दसरूराम साहू पिता स्व. गजवरा उम्र-53 वर्ष जाति तेली अन्य-2 निवासी भाठागांव तह. व जिला रायपुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तापुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/07/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202206101500057/202206101500057

विषयः अ-6 सन्- 2020-2021

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

मोतीपुर प.ह.न. 00008 (664/4 (0.0070 हे.))

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / विवेक त्रिपाठी अनावेदक पक्षकार - छ.ग.शासन

**ईश्तहार**

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम मोतीपुर प.ह.न 8 तह. पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक विवेक त्रिपाठी पिता स्व. अमरनाथ त्रिपाठी निवासी पुराना दुर्गा चौक राजा तालाब रायपुर द्वारा अपनी पत्नी सपना के नाम पर दर्ज ग्राम मोतीपुर प.ह.नं. 08 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 664/4 रकबा 700 वर्गफीट में दर्ज भूमिस्वामी का दिनांक 28/4/2022 को मृत्यु हो जाने से आवेदक फौती नामांतरण हेतु आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः विवेक त्रिपाठी पिता स्व. अमरनाथ त्रिपाठी निवासी पुराना दुर्गा चौक राजा तालाब रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 11/7/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21/6/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार पाटन (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग दुर्ग (छ.ग.)

मामला क्रमांक अ/6अ6 / वर्ष 2021-22 ग्राम-बसनी

**उद्घोषणा**

एत्द द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ख्वाजा फजलुद्दीन फारूखी आ. स्व. मोईनुद्दीन निवासी ग्राम वार्ड नं. 48 आनंद नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम बसनी प.ह.नं. 12 रा.निमं. धमधा तह. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि ख.नं. 340, 370, 840/2, 841/2, 842 रकबा क्रमशः 0.20, 0.61, 0.16, 0.19, 0.36 कुल खसरा नं. 05 कुल रकबा 1.52 हे. भूमि राजस्व 4.90 रू. की भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख्वाजा फजलुद्दीन फारूकी आ. स्व. मोईनुद्दीन निवासी ग्राम वार्ड नं. 48 बिसाईड सेंट्रल जेलआनंद नगर दुर्ग के नाम पर स्वामित्व में दर्ज है। जिस पर आवेदक द्वारा उक्त ग्राम में स्थित खसरा नंबरों का संविलियन कर एक नया खसरा नंबर दिए जाने का आवेदन शासन के दिशा निर्देशानुसार दिशा निर्देश की प्रति आवेदन में संलग्र कर राजस्व दस्तावेज की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्र कर इस न्यायालय को पेश किया गया है।

अतः जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो अपने लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 15/7/22 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आज दिनांक 30/6/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार धमधा (छ.ग.)

### न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.) उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका त्रिवेणी साहू आ./पति नारायण सिंह साहू साकिन रिसाली भिलाई के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न 39 रा.नि.मं. उतई तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1017/2 का टुकड़ा रकबा 2188 वर्गफीट भूमि श्रीमती सरोज शर्मा पति सीताराम शर्मा से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24/3/17 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणिकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 14/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/6/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त भिलाई-3 भिलाई के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202206101600102/202206101600102

विषयः अ-6 सन्- 2020-2021

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

पहंडोर प.ह.न. 00014 (हे.)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - इंदिरा साहू / अनावेदक पक्षकार- कदम बाई

**ईश्तहार**

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका इंदिरा साहू पिता रामदयाल साहू निवासी शहीद वीर नारायण सिंह खुर्सीपार तह. व जिला दुर्ग छ.ग. के द्वारा मौजा ग्राम पहंडोर रा.नि.मं. जामगांव एम. तह. पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित खसरा नं. 856 का टुकड़ा रकबा 0.01 बराबर 1020 वर्गफुट भूमि को विक्रेता कदम बाई पति सीताराम के तरफ से आ.मु. नदीम शहबाज पिता बेवन निवासी फरीद नगर इमाम बाड़ा चौक, सुपेला भिलाई से पंजीकृत बयनामा दिनांक 30/4/2014 को क्रय निष्पादित किया गया है उक्त क्रयशुदा भूमि को नामांतरण किए जाने मय आवेदन पत्र मय न्यायालय में पेश किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 15/7/22 तक या उसकेपूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/6/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार पाटन (छ.ग.)

### आम सूचना

मैं अधिकृत अधिवक्ता जयराम भागवानी (जिला न्यायालय दुर्ग) बंधन बैंक लिमिटेड सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग से प्राप्त अधिकार एवं निर्देशानुसार यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूं कि मेरे पक्षकार पवन जैन पिता श्री रोशन लाल जैन निवासी एल.आई.जी-65 वार्ड नं. 10 वैशाली नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दिए गए अधिकार उपरान्त विकेता हर्ष कुमार मंत्री आ. श्री ओम प्रकाश मंत्री निवासी- बी/3, मंत्री निकेतन सुन्दर नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) क्रेता माया मालपानी पति श्री महेश मालपानी निवासी एच.नं. 14 एच.आई.जी. जवाहर नगर सुपेला भिलाई तह.व जिला दुर्ग छ.ग. वाके मौजा कोहका प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग के तहत खसरा नं. 8768/6, 8765/12, 13, 8700/14, 15, 8764/6 रकबा 0.020 हे. 2400 वर्गफीट रजिस्ट्री दिनांक 02/07/2014 ग्रन्थ नं. 28444, पृष्ठ नं. 34-42 दस्तावेज नं. 1161 की रजिस्ट्री कही गुम हो गई है उक्त मूल रजिस्ट्री पेपर का कोई दुरूपयोग ना करे इस हेतु इसकी सूचना संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है अतएव आम जनता को कि उक्त जमीन/मकान के संबंध में किसी प्रकार का स्वत्वः स्वामित्व रखता हो तो इस सूचना के प्रकाशन के सात 07 दिनों के भीतर मेरे कार्यालच में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा अवधि अवसर पश्चात किसी प्रकार की दावा आपत्ति शून्य एवं निष्प्रभावी होगा।

भवदीय
जयराम भागवानी- प्लाट नं. 20 पेट्रोल पंप के बाजू में न्यू आदर्श नगर दुर्ग मो. नं.- 93028-38684

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा

पंजी. नं. 202206100400627

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक शिवा देवरकोंदा आ. डी. कोडय्या निवासी यमुना विहार एन.टी.पी.सी. जमनी पाली कोरबा के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 246/140 रकबा 0.0204 हें/ 2199 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

क्रमांकः सीजी 5106209062022037

कसारीडीह प.ह.न. 00022 हे.

**ईश्तहार**

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00022 के अंतर्गत ग्राम कसारीडीह के भूमिस्वामी भारती गुप्ता पिता/पति स्व. डॉ विजय सिंह गुप्ता पता मकान नं. 103, भाई पारा कचहरी रोड आपापुरा दुर्ग तह व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 631/1 (0.0158) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15/7/22 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/6/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

## कलेक्टर ने मां बम्लेश्वरी में टेका मत्था उन्नति व खुशहाली की कामना

**राजनांदगांव/नवप्रदेश।** कलेक्टर डोमन सिंह ने डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। कलेक्टर ने मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर जिले की उन्नति एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह ठाकुर, एसडीएम डोंगरगढ़ गिरीश रामटेके सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

## सीएचसी में आयोजित किया गया सास-बहू सम्मेलन

**नवागढ़/नवप्रदेश।** ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत सास-बहू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ बोधेश्वर वर्मा ने विवाह की सही उम्र व पहले बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर रखने की समझाइश दी। उन्होंने परिवार नियोजन के अस्थायी व स्थायी साधनों के बारे में बताया। इस दौरान कमलेश जांगड़े, यूआर ध्रुवे सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।

## कलेक्टर ने दफ्तरों का किया निरीक्षण

**बेमेतरा/नवप्रदेश।** कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट भवन के विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नस्तियों के व्यवस्थित संधारण एवं कार्यालय की नियमित साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयीन स्टॉफ को समय पर कार्यालय आने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भटकना न पड़े, अधिकारी संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहे। कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, खाद्य विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, आबकारी, भू-अभिलेख, रिकार्ड रुम, जिला नाजिर शाखा, शिकायत शाखा आदि का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मस्के उपस्थित थे।

## मंडी सदस्य ने संभाला पदभार

**भाटापारा/नवप्रदेश।** कृषि उपज मंडी के कार्यालय सभा कक्ष में मंडी अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस सचिव सुशील शर्मा ने कायार्लय के अधिकारी कर्मचारियों की समूह बैठक लेकर उनके कार्य कलापो के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सभी अधिकारी कर्मचारियों

को शासन के मंशानुरूप दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करने व कार्य संचालन व व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया समिति के सदस्य अश्वनी बारले पौसरी के व्दारा मंडी सदस्य का पदभार ग्रहण किया गया जिनका स्वागत मंडी सचिव सुरेश कुमार चौरे, मंडी कर्मचारियों के व्दारा पुष्पमाला व पुष्पगुच्छ से किया गया।

# बढ़ती महंगाई व फेक न्यूज चलाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

**कवर्धा/नवप्रदेश।** बढ़ती महंगाई व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के विरोध में गुरूवार को महिला कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कवर्धा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगोत्री योगी एवं प्रदेश सचिव सावित्री साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन बोड़ला ब्लॉक में किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जी न्यूज द्वारा झूठी खबर फैलाकर उनकी साफ-सुथरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के लोगों को कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसलिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह-तरह की साजिश रची जा रही है जो कि गलत है हम सब महिला कांग्रेस उसका जमकर विरोध करते हैं और जी न्यूज़ के आरोपियों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं।

**महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसे :** देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा सरकार बैठी है तब से देश की जनता और गृहणियां बहुत परेशान हैं। गैस के बढ़ते हुए दामों से हमारी गृहणी बहनों का किचन का बजट बिगड़ चुका है। पहले गैस सिलेंडर 400 में मिलता था केंद्र में भाजपा की सरकार आने से 11 सौ से ऊपर मिल रहा है। गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को कम कर जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की।

# कांग्रेस की बैठक का महिला कांग्रेस ने किया बहिष्कार

**भाटापारा/नवप्रदेश।** संगठन को और मजबूती और गति देने कांग्रेस भवन में दोनों जोन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रत्येक माह की 7 तारीख को आवश्यक रूप से जोन की बैठक करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार की उपलब्धि और जनकल्याण कारी कार्यक्रम को बूथ स्तर तक ले जाने की कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्णय हुआ, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष विनोद अग्रवाल के सुझाव पर प्रतिदिन 2 घंटे कांग्रेस भवन में ब्लॉक अध्यक्ष उपलब्ध रहेंगे और सभी बूथ अध्यक्ष की समस्या के निवारण हेतु प्रयास करेंगे। बैठक में सभी सदस्यों ने भाजपा और गैर कांग्रेसियों की नियुक्तियों पर रोष प्रकट किया और कहा कि नियक्ति से पहले स्थानीय संगठन को जरूर विश्वास में लेना चाहिए। इसी के चलते आज की बैठक का महिला कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। आगामी दिनों में दोनों जोन में सेक्टर और बूथ स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाएगा जिससे संगठन को मजबूत किया जा सके। कार्यक्रम में जोन अध्यक्ष प्रशान्त गांधी ने जोन कमेटी की तरफ से नव नियुक्त मंडी अध्यक्ष का सम्मान भी किया गया।

# कलेक्टर के संज्ञान के बाद बदलेगी सांगरपुर खुर्द स्कूल की तस्वीर

■ **मंच के सामने शेड निर्माण कराने के भी निर्देश दिए**

**कवर्धा/नवप्रदेश।** जिले के नवपदस्थ कलेक्टर जनमेजय महोबे के संज्ञान के बाद कवर्धा विकासखण्ड के प्राथमिक स्कूल सारंगपुर खुर्द की तस्वीर अब जल्द ही बदलेगी। कलेक्टर ने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला मिशन समन्वय को स्कूल में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण और मंच के पास एक शेड निर्माण की स्वीकृति करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर के निर्देश पर नया भवन का प्रस्ताव संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया है। साथ ही जिला शिक्षा मद से 40 हजार रूपए एवं जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की मदद से 20 हजार एकत्र कर स्कूल में अन्य आवश्यक मरम्मद कार्य कराने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि सारंगपुर खुर्द स्कूल परिसर के मंच में तिरपाल से लगाकर बच्चों की पढ़ाई करने वाली खबर सामने आई थी। कलेक्टर ने इस खबर को शीघ्रता से संज्ञान में लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासी एवं पालकों द्वारा अपनी खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी किया है।

कलेक्टर के निर्देश पर कवर्धा विकासखण्ड संकुल केन्द्र कोठार के शासकीय प्राथमिक शाला सारंगपुर खुर्द का जिला शिक्षा अधिकारी राकेश पाण्डेय, सहायक संचालक महेन्द्र गुप्ता, जिला मिशन समन्वयक विनोद श्रीवास्तव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एमआर पटेला, एवं खण्ड स्त्रोत समन्वयक जलेश चंद्रवंशी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर विद्यालय मरम्मत योग्य पाया गया। जिसके लिए शिक्षा मद की राशि 40 हजार रूपए, जिला पंचायत के माध्यम से तथा उपस्थित अधिकारी कर्मचारी व ग्रामवासियों के सहयोग से 20 हजार इस तरह कुल 60 हजार रूपए राशि एकत्रित कर मरम्मत कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर तब तक विद्यालय के किचन कक्ष, प्रधानपाठक कक्ष व बरामदे में विद्यालय के 51 बच्चों को पढ़ाई सुचारू रूप से करने के लिए कहा गया। कलेक्टर के निर्देशन में जिला मिशन समन्वयक को 01 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया साथ ही मंच के पास 01 शेड बनाने के लिए कहा गया है। विद्यालय का अतिरिक्त कक्ष जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है उसे वर्तमान में ताला लगाकर रखने तथा डिस्मेंटल की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। बच्चों को विद्यालय परिसर में बने मंच में पढाया जा रहा था तथा धूप से बचने के लिए ग्रामवासियों द्वारा पालीथीन की व्यवस्था की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि समाचार पत्र में छपी हुई खबर पूर्णतः गलत है कि विद्यालय तिरपाल लगाकर संचालित की जा रही है। ग्रामवासी विद्यालय के मरम्मत कार्य में स्वस्फूर्त श्रमदान के लिए स्वयं राजी हुए है। उक्त बैठक में सरपंच, पंच, ग्राम पटेल, शाला विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। नया भवन का प्रस्ताव संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया है। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए अपनी खुशी जाहिर की है।

# पंचायत सचिव दिवस व सम्मान समारोह में शामिल हुए विधायक

■ **शासकीयकरण की मांग पर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का दिया आश्वासन**

**महासमुंद/नवप्रदेश।** पंचायत सचिव संघ जनपद पंचायत महासमुंद के तत्तावधान में गुरुवार को जनपद पंचायत परिसर में आयोजित पंचायत सचिव दिवस व सम्मान कार्यक्रम में विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर शामिल हुए।

इस दौरान पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग पर उन्होंने शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया। गुरूवार को जनपद पंचायत परिसर में पंचायत सचिव दिवस व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष त्रिलोकी राधेश्याम ध्रुव, बीज अनुसंधान समिति छग के संचालक दाउलाल चंद्राकर, सरपंच संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्राकर, राधेश्याम ध्रुव, ममता चंद्राकर, मानिक साहू मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि चंद्राकर ने कहा कि शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पंचायत सचिव करते हैं। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। उन्होंने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग पर कहा कि उनकी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया। जिस पर संघ के पदाधिकारियों ने चंद्राकर का आभार जताया। बाद इसके संघ के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सचिव संघ के अध्यक्ष राजकुमार ध्रुव, बेनीराम चंद्राकर, द्वारिका यादव, नारायण साहू, चंद्रमणी चंद्राकर, लेखराम चंद्राकर, शिव पटेल, हरिदास मानिकपुरी, राजू चंद्राकर, बलराम साहू, शिव कोसरे, जीवन कोसरे, संतोष पटेल, ओमप्रकाश साहू, शंकर साहू, गंगाराम टंडन, जीवराखन बंजारे, बंशी पटेल, परमानंद साहू आदि मौजूद थे।


**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-192 दि. 04.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- भक्त माता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भवन/ भूमि RPR663I1665A जो कि निगम अभिलेख में मेसर्स यूटिनेट बिल्डर्स पार्टनरशिप फर्म द्वारा भागीदार मनीष रिझवानी s/o स्व. पी.एल. रिझवानी के नाम से दर्ज है जिसको श्री जितेन्द्र कुमार गजेन्द्र s/o श्री जगन्नाथ गजेन्द्र ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-190 दि. 01.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- वामनराव लाखे-66

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-66 स्थित भवन/ भूमि RPR664G00134 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती सविता बनवासी w/o स्व. श्री मनराखनलाल बनवासी के नाम से दर्ज है जिसको 1. श्रीमती योगिता मिश्रा w/o श्री पंकज मिश्रा 2. श्रीमती कल्पना आशीष गौतम w/o श्री आशीष गौतम ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय संपदा अधिकारी**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनातंर्गत सड्डू रायपुर में स्थित भवन क्रमांक एलआईजी-113, श्री अश्वनी कुमार शर्मा पिता स्व.श्री मदनलाल शर्मा के नाम स भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा पत्र क्रमांक 4412 दिनांक 05.03.2008 को आधिपत्य आदेश प्राप्त कर भवन का पूर्ण राशि जमा कर उक्त भवन को सेलडीड/अनुबंध दिनांक 22.09.2011 पंजीकृत कराने उपरांत वर्तमान में आबंटी श्री अश्वनी कुमार शर्मा पिता स्व. श्री मदनलाल शर्मा निवासी-बी-1/201, ए.टी. क्लासिक अशोका रतन के पास विधानसभा रोड खम्हारडीह रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को श्री दुर्गेश कुमार पटेल पिताश्री ढलगन प्रसाद पटेल निवासी-ग्राम घानाघाट तहसील लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) के नाम से विक्रय करने के लिए इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की गई है।

अतः उक्त फ्लैट के विक्रय के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाले आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-187 दि. 01.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- पं. दीनदयाल उपाध्याय-41

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित भवन/ भूमि RPR569H00220 जो कि निगम अभिलेख में श्री पंकज कुमार तिवारी s/o श्री रामानंद तिवारी के नाम से दर्ज है जिसको श्री प्रवीण तिवारी s/o स्व. पंकज तिवारी ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-186 दि. 01.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- पं. दीनदयाल उपाध्याय-41

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित भवन/ भूमि RPR569100134 जो कि निगम अभिलेख में श्री अजय कुमार साहू s/o रामकिशन साहू के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती आशा साहू w/o स्व. अजय कुमार साहू ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, कबीरधाम (छ.ग.)**

**निविदा निरस्त सूचना**

इस कार्यालय के निविदा सूचना क्रमांक 222 दिनांक 24.06.2022 ऑनलाईन सिस्टम क्रमांक 103500 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। अतः निविदा को निरस्त किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
जी-92749/3
लो.स्वा.यां. खण्ड कबीरधाम (छ.ग.)

**कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर**
नवीन मुख्यालय भवन, नगर पालिक निगम, गांधी चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2535780,90 फैक्स-0771-2227395, ई-मेल : dc_rmc@rediffmail.com
क्रमांक 12096/यो. शाखा/नपानि/2022
रायपुर, दिनांक 05/07/2022

**निविदा आमंत्रण सूचना**

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा अनुसूची अधिकृत एजेंसी/ फर्म/निर्माता कंपनी जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो सीलबंद निविदा नॉन एस.ओ.आर. आयटम हेतु फार्म "B" में आयटम दर पर दो लिफाफा पद्धति से दिनांक 27.07.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन अवधि एवं समय पर योजना शाखा से दिनांक 25.07.2022 तक निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 27.07.2022 को अपरान्ह 5.00 बजे उपस्थित निविदाकार/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

| क्र. | कार्य का नाम | आगणित राशि रु. | अमानती राशि रु. | निविदा प्रपत्र | ठेकेदार श्रेणी | कार्यावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रायपुर शहर के दो प्रमुख चिन्हित स्थलों कबीर चौक रामनगर एवं दुर्गा चौक गुढ़ियारी रायपुर में RO Water Vending Machine स्थापना कार्य (01 वर्ष रख-रखाव संधारण कार्य सहित) | 11,21,000/- | 11500/- | 750/- | क्लास 'डी' अथवा निर्माता कंपनी/ अधिकृत फर्म | 20 दिवस |

नियम शर्तें :-
1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से स्वीकार होगी।
3. लिफाफा (अ) में अमानती राशि एवं लिफाफा (ब) में वित्तीय आफर।
4. लिफाफा (अ) में राशि रु. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर में निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों के सत्यापन संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य की स्पेशिफिकेशन एवं अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को होगा।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-189 दि. 01.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- वामनराव लाखे-66

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-66 स्थित भवन/ भूमि RPR664E00245 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती गीता सोनी w/o स्व. राजेन्द्र सोनी के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती आरती यादव w/o महेश यादव ने मलमा बिक्री इकरारनामा/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर**
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र.-188 दि. 01.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- डा. खूबचंद बघेल-68

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-68 स्थित भवन/ भूमि RPR567A000126 जो कि निगम अभिलेख में श्री विजय राजानी s/o स्व. श्री डी.एम. राजानी के नाम से दर्ज है जिसको श्री सुमित गुप्ता s/o श्री श्यामबिहारी गुप्ता ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

**छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग**
**कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)**

**ई.प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना**

eProcurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in
(द्वितीय आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 103309 नि.सू.क्र. 07/वलेलि/ई-प्रोक्यूरमेंट/22-23 दिनांक 29.06.2022 निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 20.07.2022 17.30 तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

**कार्य का नाम -** बस्तर जिले के विकासखण्ड बकावण्ड की उलनार जलाशय का शीर्ष एवं मुख्य नहर व लघु नहर का मरम्मत कार्य एवं लाईनिंग कार्य।

अनुमानित लागत - **रु. 227.44 लाख**

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 06.07.2022 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

**नोट :** निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर
कृते मुख्य अभियंता महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग, रायपुर छ.ग.
जी-92732/4

**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र दुर्ग (छ.ग.)**

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-100/2009/32, रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 के परिपालन में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्नलिखित हितग्राहियों के द्वारा जिनके नाम व कालोनी का नाम एवं आवासीय भू-खण्ड/भवन क्रमांक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, को फ्री-होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

| क्र. | आबंटी का नाम | पिता/पति का नाम | कॉलोनियों का नाम | भवन/भूखण्ड/दुकान क्र. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती अपर्णा चक्रवर्ती | पति श्री एम.एम. चक्रवर्ती | कोहका भिलाई | ई-1/835 एवं ई-1/836 |
| 2 | श्रीमती मुन्नी देवांगन | पति श्री रामकृष्ण देवांगन | पद्मनाभपुर दुर्ग | एम.आई.जी.- 03 |
| 3 | श्रीमती रेणु गेलानी | पति श्री के.के. गेलानी | आदित्य नगर दुर्ग | एस.एम.डी.-08 |
| 4 | श्री पी.जे. योहान्न | आ. स्व. योहान्न | पद्मनाभनगर दुर्ग | जूनि. एम.आई.जी.-587 |
| 5 | श्री अब्दुल मत्तलिब | आ. श्री अजमत उल्ला | कुरूद भिलाई | सी.एच.-389 |
| 6 | श्रीमती बी. कमला कुमारी | पति श्री बी. वीरनारायण | औ. क्षेत्र भिलाई | एम.आई.जी. डुप्लेक्स-555 |
| 7 | श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे | आ. स्व. माधो प्रसाद बंजारे | बोरसी दुर्ग | एच.आई.जी.-1/42 |
| 8 | श्रीमती आरती अरूण कुमार मिश्रा | पति श्री अरूण कुमार मिश्रा | पद्मनाभपुर दुर्ग | एल.आई.जी.-18 |
| 9 | श्री मयूर कुमार | आ. श्री कृष्णा टी. गजभे | औ. क्षेत्र भिलाई | एम.आई.जी.-2/14 |
| 10 | श्री अमित राज मिंज | आ. श्री ज्योति प्रकाश मिंज | बोरसी दुर्ग | एच.आई.जी.-2/305 |
| 11 | श्री आर.एम. नायर | आ. स्व. पी.आर.के. पिल्ले | मालवीय नगर | बी-319 |
| 12 | श्रीमती मिथिलेश झा | पति श्री दिनेश झा | कुरूद भिलाई | एम.आई.जी.-783 |
| 13 | श्रीमती श्वेता शर्मा/श्री सुबोध शर्मा | पति श्री सुबोध शर्मा एवं आ. श्री त्रिभुवन कुमार शर्मा | बोरसी दुर्ग | एम.आई.जी.-509 |
| 14 | श्रीमती रश्मि सक्सेना/ श्री शोभित सक्सेना/श्री संजय सक्सेना | पति स्व. अजीत सक्सेना एवं आ. स्व. जे.पी सक्सेना | पद्मनाभपुर दुर्ग | एम.आई.जी.-149 |
| | श्री मनीष सक्सेना/सुश्री श्वेता सक्सेना/श्रीमती सुप्रिया सक्सेना | आ. स्व. प्रदीप सक्सेना | | |
| | श्रीमती रीता सक्सेना/सुश्री श्रुति सक्सेना | आ. स्व. अजय सक्सेना | | |

सम्पदा अधिकारी
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र- दुर्ग (छ.ग.)

# अमलीपारा हाई स्कूल में विधायक ने किया वृक्षारोपण

**खैरागढ़/नवप्रदेश।** क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलाम्बर वर्मा के मुख्य आतिथ्य में अमलीपारा स्वर्गीय विजय लाल चोपड़ा हाई स्कूल में विगत दिनों वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नपा उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भीखम चंद छाजेड, नपा सभापति पुरुषोत्तम वर्मा, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष भरत चंद्राकर, वरिष्ठ सदस्य सुभाष चावड़ा, मो. याहिया नियाजी, पत्रकार किशोर सोनी, दिलीप शर्मा, कांग्रेस नेता अंकित चोपड़ा, तारा वर्मा, अनुभा चंद्राकर, कवल दास टंडन, अनाम भोंडेकर, रतन सिंगी व कोमल वर्मा सहित हाई स्कूल के प्राचार्य ईश्वर प्रसाद ठाकुर, बीआरसी सुजीत सिंह चौहान व संकुल समन्वयक योगेश सिंह ठाकुर उपस्थित थे. वृक्षारोपण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विधायक यशोदा वर्मा सहित अतिथियों का शाला परिवार ने पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया तत्पश्चात शाला परिसर में फलदार- छायादार जामुन, आंवला, आम, कदम व नीम समेत कई प्रकार के पौधे लगाए। विधायक ने छात्रों सहित उपस्थितजनों को अपने घर व आसपास वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिये प्रेरित किया और कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये आप लोग सबको वृक्षारोपण के लिये जागरूक करें। नपा उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान ने कहा कि वातावरण में शुद्धता बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण करने के साथ- साथ उसका रख रखाव भी उचित ढंग से करें तभी हमें शुद्ध हवा मिलेगी।

# विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

**राजनांदगांव/नवप्रदेश।** कलेक्टर डोमन सिंह ने 20 से 27 जुलाई तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान जिले के अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी अधिकारी अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल भेजने कहा गया है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त अपने कार्यालय में अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।

# समस्याओं के निराकरण के लिए तुंहर विधायक तुंहर द्वार अभियान का आगाज

- चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, त्वरित निराकरण का दिलाया भरोसा

**महासमुंद/नवप्रदेश।** संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की अगुवाई में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए तुंहर विधायक तुंहर द्वार अभियान का आगाज हुआ। गुरूवार को ग्राम बिरकोनी में संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने सघन जनसंपर्क किया। बाद इसके चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

ग्राम बिरकोनी पहुंचने पर सरपंच ताम्रध्वज निषाद सहित ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। बाद इसके संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने गांव का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताते हुए मांग रखी। सतनाम पारा के भुरूराम कुर्रे, राजेश्वर, पुनेश्वर कुर्रे आदि ने पेयजल की समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि मुहल्ले के पास में ही तीन एचपी का मोटर चलता है जिसे पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई जाए। साथ ही गली में सीसी रोड, प्राथमिक शाला में आहाता निर्माण, परसवानी रोड से होते हुए आंगनबाड़ी तक मार्ग निर्माण, सोलर लाइट लगाने व तालाब में पचरी निर्माण की मांग रखी। जिस पर संसदीय सचिव ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं का जिक्र करते हुए उनका लाभ उठाने का आव्हान किया। अभियान में प्रमुख रूप से मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ढेलू निषाद, खिलावन बघेल, दाऊलाल चंद्राकर, राजेन्द्र चंद्राकर, संजय शर्मा, जसबीर ढिल्लो, हार्दिक सोना, कुलेश्वर ठाकुर, चंदन चंद्राकर, ताम्रध्वज निषाद, गंगा राम तारक, आवेज खान ममता चंद्राकर, विजय चंद्राकर, शत्रुघन यादव, माणिक साहू, दीनबंधु चंद्राकर, रामा यादव, बिहारी पटेल, डोमन साहू, दीपक साहू, केजुराम साहू, शिव पटेल, राजेश ढीढी, चूड़ामणि पटेल, रवि साहू आदि मौजूद रहे।

# किताबें, गणवेश के नाम पर छात्रों से शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई

**बेमेतरा/नवप्रदेश।** अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों से किताबें, लेखन सामग्री एवं गणवेश के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग न की जाए, अपितु इन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लेखन सामग्री एवं गणवेश उपलब्ध कराए जाने के संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर से प्राप्त पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा जिलें के अशासकीय विद्यालयों को प्रसारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालक के इस पत्र को प्रसारित करते हुए जिले के अशासकीय विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त सहायक नोडल अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने नोडल क्षेत्रान्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में पत्र में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों में इन निर्देशों के पालन सुनिश्चित कराने हेतु सहायक नोडल अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यालय स्तर पर सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के बाद भी यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे निजी विद्यालयों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

# भाजयुमो ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

**कवर्धा/नवप्रदेश।** भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाधीश के नाम अतिरिक्त कलेक्टर बीएस उइके को ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पीयूष सिंह ने बताया की शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और जिले के सभी तहसील कार्यालयों में विद्यार्थियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। कवर्धा तहसील में ही 1500 से ज्यादा आवेदन लंबित है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, साथ ही डायवर्सन के नाम पर 2000 रुपये प्रति डिसमिल की उगाही की जा रही है। अगर किसी किसान का पर्ची गुम जाए तो नया पर्ची बनाने के लिए भी 15000 से 20000 खर्च करने होते हैं। सीमांकन के नाम पर भी भारी लूट मची हुई है। भाजयुमो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सात दिवस के भीतर इन सभी समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

# शनिवार को नवागढ़ कॉलेज में होगी संस्कृति ज्ञान परीक्षा

**नवागढ़/नवप्रदेश।** अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शासकीय कोदुराम दलित महाविद्यालय नवागढ़ में शनिवार को दोपहर 12 से 01 के बीच संचालित होगी। गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा विगत 25 वर्षों से भारतीय संस्कृति ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष राष्ट्र के पूर्वांचल आवर दक्षिण के प्रदेशों को मिला कर 22 राज्यों और नेपाल को लेकर अलग-अलग नौ भाषाओं में संचालित हुआ जिसमें 50 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इसके लिए प्रत्येक छात्र से सहयोग राशि के रूप में 40 रुपए लिया जाएगा। परीक्षा की तैयारी हेतु प्रत्येक छात्र को प्रश्न बैंक सहित एक पुस्तक निःशुल्क दी जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के क्रम के तीन छात्रों को नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के इन तीनों छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण एवं व्यक्तित्व परिस्कार के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु शांतिकुंज हरिद्वार की यात्रा कराई जाएगी।

# कलेक्टर राजकुमारी व विद्या से हुए रुबरु

**बेमेतरा/नवप्रदेश।** कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने कलेक्टोरेट के निरीक्षण के साथ-साथ जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अपने पिताजी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आयी विद्या धृतलहरे से आत्मीय बातचीत की और आने का कारण पूछा। ग्राम लोलेसरा निवासी विद्या के पिता ने बताया कि वे अपनी बड़ी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए हैं। कलेक्टर ने विद्या से उनके पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। विद्या के पिता ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे दोपहर जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुंचे हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने आधार सेवा केन्द्र में अपना आधार कार्ड बनवाने आयी बेरला विकासखण्ड के ग्राम गोड़गिरी निवासी राजकुमारी एवं उनके पति सदाराम से कलेक्टोरेट आने का कारण पूछा और छत्तीसगढ़ी में आत्मीय बातचीत की।

अपनी फरियाद लेकर कलेक्टोरेट आये आम नागरिकों से छत्तीसगढ़ी में कलेक्टर द्वारा उनका हालचाल पूछना और आत्मीय बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं से रुबरु होना एक संवेदनशील अधिकारी की पहचान है।

## प्रथम पेज का शेष

**मोदी सरकार पिछले ...**

से किसानों की आमदनी दोगुना करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी के लिए समिति गठित करने तथा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के कुचलने के लिए दोषी युवक के पिता एवं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने की बात की थी लेकिन अब वह इन वादों से मुकर गई है और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार का मकसद एमएसपी को धीरे-धीरे खत्म करना है और किसानों के साथ किये वादों से पीछे हटकर उन्हें धोखा देना है। उनका कहना था कि सरकार के मन में पहले से ही घोखा था इसलिए उसने गत मार्च में किसानों से लिखितरूप से बात करने की बजाय किसान मोर्चा के नेताओं को फोन करके समिति के लिए मौखिक रूप से नाम देने को कहा था लेकिन इस बारे में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

**अब समर्थन मूल्य पर...**

छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई : नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।

**छह जिलों के एसपी...**

वाहिनी छसबल में पदस्थ थे। इसके अलावा 2010 बैच के आईपीएस सुजीत कुमार को 15वीं वाहिनी छसबल बीजापुर से 10वीं वाहिनी छसबल सूरजपुर भेजा गया है। वहीं इंदिरा कल्याण एलेसेला को जीपीएम का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वे 2011 बैच के आईपीएस हैं और फिलहाल 11वीं वाहिनी छसबल जांजगीर चांपा में पदस्थ थे।

**भाजपा से 25 विधायक...**

अलावा अधिकांश नए मंत्री शामिल होंगे।

सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अगले महाराष्ट्र चुनाव से पहले नए चेहरों को परखना चाहती है। इसलिए बीजेपी इस नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही मंत्रियों के नाम पर सहमति दी जा रही है।

**शिकारी ही हुए शिकार : करंट...**

पर पहुंची। वहां पर शवों के पास ही तार का बंडल पड़ा हुआ था। साथ ही एक हिरण भी मरा पड़ा था। इस पर पुलिस ने शवों की शिनाख्त कराई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वन विभाग ने हिरण के शव को भी पंचनामे के लिए भेजा फिर विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया।

एक फैक्ट्री में काम करते थे मृतक : बताया जा रहा है कि मौके पर मिले तीनों शवों की शिनाख्त पूंजीपथरा निवासी बीरबल धनवार (36 साल), लैलूंगा सोनाजोरी निवासी अनिल कुजूर और बैगाबहार कोतबा निवासी बोधन तिर्की के रूप में हुई है। तीनों ही पूंजीपथरा के पास एक फैक्ट्री में काम करते थे। बताया जा रहा है कि तीनों बुधवार देर शाम जंगल में शिकार और पार्टी के लिए गए थे। इस दौरान वे जीआई तार लेकर पूंजीपथरा और तराईमाल के बीच जंगल में पहुंचे।

वन विभाग के अफसरों के मुताबिक आरोपियों ने जंगल से गुजरे 11000 वॉट की हाईटेंशन लाइन से वन्य जीवों के शिकार के लिए कनेक्शन किया। आशंका है कि इस दौरान एक हिरण तार की चपेट में आकर मर गया। उसे निकालने के प्रयास में तीनों भी करंट की चपेट में आ गए होंगे और उनकी मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग के अफसरों का कहना है कि अभी तीनों के परिजनों से पूछताछ चल रही है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा। इस क्षेत्र में लंबे समय से यह अवैध शिकार चल रहा है।

---

### कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बलौदाबाजार (छ.ग.)

निविदा क्रमांक 105/ले.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./खण्ड/ बलौदाबाजार दिनांक 17.06.2022

**संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आयटम दर पर निविदाएं नीचे उल्लेखित कार्य हेतु **प्रपत्र "सी"** में सामाग्री के निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

| | | |
|---|---|---|
| कार्य का विवरण | :- | जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत समस्त संचालित हेण्डपंपों की जल परीक्षण हेतु H2S Voils का प्रदाय कार्य। |
| अनुमानित लागत | :- | रु. 2.32 लाख |
| अमानत राशि | :- | रु. 2500/- |

निविदा संबंधी अन्य जानकारियां कार्यालयीन समय में दिनांक 14.07.2022 तक खण्ड कार्यालय बलौदाबाजार के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

**नोट :-** अनुबंधित एजेंसी को उपलब्ध आबंटन एवं मांगपत्र अनुसार प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।

**कार्यपालन अभियंता,**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,**
**बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**

**जी-92753/2**

### कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग क्र.-1, रायपुर

**मैनुअल पद्धति से द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना**

विज्ञप्ति क्रमांक 4746/एन.आई.टी.-24/टी.सी./22-23/ रायपुर, दिनांक 04/07/2022

| कार्य का विवरण | अनुमानित राशि (लाखों में) |
|---|---|
| Construction of Govt. Ayurved Dispensary Changora Bhata at Raipur (C.G.) | 14.59 |
| Record Room Tubular Structure Shed at Above Rajya Pariyojana Office at Madhymik Shiksha Mandal Office Raipur | 16.04 |
| S/R, MOW, Deposit and Other Works at NCC Camps Kota at Raipur under Maintenance Sub Division Raipur Under Deposit Fund | 10.00 |

**निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि - 26.07.2022**

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

**कार्यपालन अभियंता**
**लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1**
**रायपुर**

**जी-92748/3**

### कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

**निविदा सूचना**

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| एन.आई.टी. क्र./सिस्टम टेन्डर नं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत रु. (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 35/104077 | ROAD FURNITURE WORK OF TORLA-GHORBHATHI BIRBIRA VIA UGETARA ROAD, LENGTH-8.00 K.M. (Aetual Length 7.65Km) (द्वितीय आमंत्रण) | रु. 67.98 लाख |
| 177/104078 | ROAD FURNITURE WORK UNDER SUB DIVISION ABHANPUR FOR THE YEAR 2021-22 (चतुर्थ आमंत्रण) | रु. 40.00 लाख |
| 13/104080 | Construction of Jalvihar Colony at main Road Raipur (C.G.) (तृतीय आमंत्रण) | रु. 57.62 लाख |
| 15/104081 | Construction of Internal Road of Old Panchseel Nagar Civil Line Ward at Raipur (C.G.) (तृतीय आमंत्रण) | रु. 53.61 लाख |
| 30/104083 | White Washing, Color Washing, Distempering & Painting Work In Building Under Mekahara Hospital Section At-Raipur (01) Interior Painting In 700 Beded Hospital & O. P. D. Building (02) Exterior & Interior Painting In Extension Building, P.G. Boys Hostel, Lenear Unit-01 & 02, Cobalt-60 Brichy Therepy, A.C.I. Etc, (द्वितीय आमंत्रण) | रु. 120.83 लाख |
| 17/104085 | S./R. M.O.W. WORK AT BUILDING OF DISTRICT HOSPITAL PANDARI, SECTION RAIPUR, UNDER SUB DIVISION NO.-4 (ARANG), RAIPUR (C.G.) (द्वितीय आमंत्रण) | रु. 25.00 लाख |

एन.आई.टी. क्र. 35 सिस्टम टेन्डर नं. 104077, एन.आई.टी. क्र. 30 सिस्टम टेन्डर नं. 104083 एवं एन.आई.टी. क्र. 17 सिस्टम टेन्डर नं. 104085 निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.07.2022 समय सायं 5.30 बजे तक एवं एन.आई.टी. क्र. 177 सिस्टम टेन्डर नं. 104078, एन.आई.टी. क्र. 13 सिस्टम टेन्डर नं. 104080 एवं एन.आई.टी. क्र. 15 सिस्टम टेन्डर नं. 104081 निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2022 समय सायं 5.30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

**अधीक्षण अभियंता**
**लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्र.-1**
**रायपुर (छ.ग.)**

**जी-92721/6**

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र- 202207100700060//अ-74/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक राम प्रसाद पिता शोभा राम देवांगन निवासी ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 17/21 रकबा 0.010 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तामान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लिकेट ऋणपुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 25/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05/07/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

**तहसीलदार**
**दुर्ग (छ.ग.)**

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र- 202206103300057/अ-06/ वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोपाल चंद्र पिता चन्द्र कुमार निवासी ढेबर सिटी भाठागांव रायपुर तह. व जिला रायपुर द्वारा मौजा ग्राम उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं.सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 360/1 रकबा 1.710 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में गोपाल चन्द आ. चन्द्र कुमार के नाम पर दर्ज है जिसे अपने स्वेच्छा से अपने पारिवारिक व्यवस्था अनुसार अपनी पत्नी अभिलाषा अग्रवाल पति गोपाल चन्द को उक्त भूमि का बंटवारा देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है आवेदन मय ऋण पुस्तिका एवं बी-1 की छायाप्रति पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 14/7/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/6/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

**अतिरिक्त तहसीलदार**
**दुर्ग (छ.ग.)**

### न्यायालय नजूल अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202206160100016 अ-20(3) 2021-22

**ईश्तहार**

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक एम. सूर्या पिता/पति आर. मूर्ति जाति मेहत्तर निवासी गीदम नगरीय क्षेत्र गीदम वार्ड तहसील गीदम जिला दंतेवाड़ा मोबाइल नंबर 9399998781 को ग्राम गीदम पहन 17 तहसील गीदम जिला दंतेवाड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 447 रकबा 1.5270 हेक्टे. में से 80 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवस्थापन/ बंटन किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 21.07.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/ अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 05.07.2022 को जारी किया जाता है।

सील

**नजूल अधिकारी**
**दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

### कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**जोन आयुक्त, कार्यालय जोन क्रमांक-8 मोहबा बाजार रायपुर**

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र. 209/2022-23
वार्ड का नाम- संत रविदास-70

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संत रविदास-70 स्थित मकान/ भूमि HIG-17 टाटीबंध जो कि निगम अभिलेख में श्री देवेश भट्ट s/o चंद्रकांत भट्ट के नाम से दर्ज है, जिसको मेसर्स सिक्योर्ड सिक्युरिटी साल्युशन प्रा.लि. डायरेक्टर रणदीप शर्मा पिता विनोद शर्मा ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

**जोन आयुक्त**
जोन क्रमांक- 8
नगर पालिक निगम, रायपुर

### कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**जोन आयुक्त, कार्यालय जोन क्रमांक-8 मोहबा बाजार रायपुर**

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र. 206/2022-23
वार्ड का नाम- संत रविदास-70

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संत रविदास-70 स्थित मकान/ भूमि Row House No.23 कंचन विहार जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल w/o बिहारीलाल अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री जितेश कनाठे s/o केशवराव कनाठे, भारती कनाठे w/o जितेश कनाठे ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

**जोन आयुक्त**
जोन क्रमांक- 8
नगर पालिक निगम, रायपुर

### न्यायालय अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा-पत्र**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक अभिषेक दास अन्य-1 पिता स्व. अनुप कुमार दास निवासी कचना रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया है कि उनके पिता के नाम पर ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 33 तह. व जिला दुर्ग में स्थिति भूमि खसरा नं. 1182/37 रकबा 0.01 हे. भूमि एकलखाता/शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/सहखातेदार अनुप कुमार की मृत्यु दिनांक 03/01/2022 को हो जाने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 03/01/2022 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

**अतिरिक्त तहसीलदार**
**दुर्ग (छ.ग.)**

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र- //अ-74/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती प्रतिमा गुमास्ता पिता/पति आशुतोष गुमास्ता निवासी ग्राम प्रगति नगर रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 340/2 रकबा 0.013 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तामान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लिकेट ऋणपुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 06/07/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

**तहसीलदार**
**दुर्ग (छ.ग.)**

### न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202207100900025/202207100900025
विषयः अ-6 सन्- 2021-2022

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

मटिया प.ह.न. 00035 (263/1 (1.1900 हे.))
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / शंकर लाल वर्मा अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि अनावेदक शंकर लाल वर्मा आ. भुखन लाल वर्मा निवासी ग्राम मटिया तह. पाटन द्वारा ग्राम मटिया प.ह.नं. 35 तह. पाटन में स्थित भूमि खसरा नं. 263/1 रकबा 1.19 हे. भूमि के साथ मूल खसरा नं. 263 हे. जिस पर वर्तमान में आवेदक का कब्जा है जिस पर वर्तमान बी-1 में खसरा नंबर दर्ज करने आवेदन किया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 25/7/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 07/07/2022 को जारी किया जाता है।

**तहसीलदार**
**पाटन (छ.ग.)**

### न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202207100900006/202207100900006
विषयः अ-6 सन्- 2021-2022

**मामले की श्रेणी-राजस्व**

पाटन प.ह.न. 00038
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / अशोकर कुमार अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार आ. वासुदेव जाति कोष्टा एवं अन्य 10 निवासी ग्राम व पोस्ट पाटन तह. पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम पाटन स्थित भूमि स्वामी हक की शामिल शरीक भूमि खसरा नं. 1329, 158, 160, 1328 रकबा क्रमशः 0.59, 0.16, 0.20, 0.29 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का अनावेदक राकेश कुमार देवांगन आ. बालमुकुन्द देवांगन एवं संगीता देवांगन पति बालमुकुन्द देवांगन के मध्य खाता विभाजन किए जाने आवेदन किया है।

अतः उक्त में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 07/07/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/06/2022 को जारी किया जाता है।

**तहसीलदार**
**पाटन (छ.ग.)**

### न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र- 202207101500010//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम अमलेश्वर प.ह.नं. 05 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक सतीश कुमार वर्मा पिता स्व. श्री आर.पी. वर्मा निवासी अखरा तह. पाटन द्वारा ग्राम अमलेश्वर हल्का नंबर 05 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने नाम दर्ज क्रय शुदा भूमि खसरा नं. 601/2 का टुकड़ा रकबा 1800 वर्गफीट भूमि का ऑनलाईन दर्ज होना किन्तु ऋण पुस्तिका प्राप्त नहीं होने से ऋण पुस्तिका प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक सतीश कुमार वर्मा पिता स्व. श्री आर.पी.वर्मा निवासी अखरा तह. पाटन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 20/7/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

**नायब तहसीलदार**
**दुर्ग (छ.ग.)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

## न्यूज गैलरी

### पत्रकार जुबेर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई

**नई दिल्ली (वार्ता)।** उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिलने पर आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिल जाने पर जुबेर की जमानत याचिका पर कल सुनवाई की जायेगी। जुबेर ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और उस मामले में जमानत मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, ÷मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिल जाने पर हम इस मामले पर कल सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ही सुनवाई के मामलों की कार्यसूची निर्धारित कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिलने की शर्त पर वह इस मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करती हैं। कानून के मसविदे के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर ' निर्धारित कर सकते हैं और तय करेंगे कि कौन किस मामले की सुनवाई कब करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोंजालविस ने जुबेर की ओर पेश होते हुए दो न्यायाधीशों वाली अवकाशकालीन पीठ से कहा कि जो लोग नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं, वही शख्स जुबेर को हत्या की धमकी देते हैं। उन्होंने पीठ से गुरुवार को अपराह्न दो बजे ही इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया और कहा कि यह अतिआवश्यक मामला है।

### तीन निजी बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा की अनुमति मिली

**नई दिल्ली (वार्ता)।** रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निजी क्षेत्र के तीन बैंकों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मंत्रालय द्वारा की जाने वाली विदेशी खरीद के संबंध में ऋण पत्र जारी करने और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण करने का अधिकार दिया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरूवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि हाल ही में इन तीनों बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गये थे। अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही ये सेवा प्रदान कर रहे थे। अब पहली बार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। चयनित बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की समवर्ती आधार पर (पूंजी और राजस्व दोनों के तहत प्रत्येक बैंक के लिए 666 करोड़ रुपये) अनुमति दी जा सकती है। इन बैंकों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यक होने पर आगे कार्रवाई की जा सके।

### केंद्र सरकार के पास युवाओं के लिए जुमले हैं, रोजगार नहीं : प्रियंका गांधी

**नई दिल्ली (वार्ता)।** कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर कड़ा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार धरातल पर कोई काम करने की बजाय सिर्फ विज्ञापनबाजी तथा जुमलेबाजी करती है और इससे किसी का भला नहीं होता है। सुश्री वाड्रा ने कहा कि आये दिन लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और आये दिन देश के युवाओं के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो है। हर महीने बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं लेकिन सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया ÷सिर्फ जून में 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए रोजगार 12 महीने के निचले स्तर पर 2022 में स्टार्टअप्स से 12,000 लोगों को निकाला गया। केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े हैं। विज्ञापनवीर भाजपा सरकार के पास देश के युवाओं के लिए नए-नए जुमले तो हैं लेकिन रोजगार नहीं। उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी लेकिन यह जुमला ही साबित हुआ है। हालात यह है कि 2022 में अब तक स्टार्ट अप के तहत रोजगार पाने वाले 12 हजार से अधिक लोगों की नौकरी छूटी है। अकेले जून में 1.30 करोड़ लोगों की नौकरी गई जबकि केंद्र सरकार में 30 लाख पद रिक्त हैं।

### जेटली स्मृति व्याख्यान में हिस्सा लेंगे मोदी

**नई दिल्ली (वार्ता)।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को यहां पहले 'अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान' में हिस्सा लेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन शनमुगरत्नम प्रथम ÷ समावेशिता के माध्यम से विकास, विकास के माध्यम से समावेशिता विषय पर मुख्य भाषण देंगे। इस व्याख्यान का आयोजन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की ओर से श्री जेटली के राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान को मान्यता देने के क्रम में किया गया है। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक आयोजित तीन-दिवसीय कार्यक्रम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वह प्रख्यात अर्थशास्त्रियों जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की सुश्री ऐनी क्रुएगर, लंदन स्कूल ऑफइकोनॉमिक्स के श्री निकोलस स्टर्न, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के श्री रॉबर्ट लॉरेंस, आईएमएफके पूर्व कार्यवाहक प्रबंध निदेशक श्री जॉन लिप्स्की, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद सहित कई अन्य हस्तियों से भी मिलेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

### जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में घमासान, प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने दिया इस्तीफा

**श्रीनगर।** एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें लगातार बाहर आ रही थीं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीर सात साल से जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साल 2015 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मीर ने अपने इस्तीफे का कारण भी बताया है। दरअसल, गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि अनुशासित सिपाही के तौर पर उन्हें उनके उत्तराधिकारी के लिए पार्टी अध्यक्ष की ओर से लिया गया कोई भी फैसला स्वीकार्य होगा। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि अहमद मीर को पार्टी की तरफसे ही पद छोड़ने के लिए कहा गया था। जबकि मीर ने यह कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है ताकि पार्टी अपने संगठन को फिर से स्थापित कर सके। इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जम्मू से वरिष्ठ नेता रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं पार्टी के सूत्रों ने बताया कि नए अध्यक्ष के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व मंत्रियों और विधायकों पीरजादा मोहम्मद सईद, विकार रसूल, जीएम सरूरी और गुलाम नबी मोंगा के नाम विचाराधीन हैं। सईद पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं विकार और सरूरी जो जम्मू के मुस्लिम क्षेत्रों से हैं, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी से जूझ रही है, इसमें एक ग्रुप गुलाम नबी आजाद के प्रति निष्ठा रखता है। आजाद गुट के कई नेताओं ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर में नेतृत्व में बदलाव की अपनी मांग के समर्थन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान मतभेदों को दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर में नेतृत्व के संपर्क में है। कांग्रेस सूबे में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रही है।

# उपराष्ट्रपति चुनाव : खास पेन से ही वोट डालेंगे सांसद

**नई दिल्ली।** भारत में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई तक है। हालांकि, अभी तक सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, अवधि समाप्त होने के कारण खाली हुए पद पर मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। खास बात है कि राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले देश में उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसे विस्तार से समझते हैं...

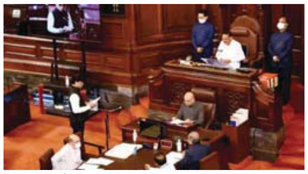

#### कैसे होता है चुनाव

उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। खास बात है कि इन सदस्यों के वोट की कीमत एक ही होती है। यह चुनाव बैलेट के जरिए संपन्न होता है। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 में शामिल नियम 8 के अनुसार, मतदान संसद भवन में होगा।

16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित 543 सदस्य शामिल हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 788 पर है। मतदान के समय सांसदों को उम्मीदवार के नाम के वरियता के हिसाब से निशाना लगाना होता है। मतदाता भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में, रोमन रूप में, या किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के रूप में वरियता दे सकते हैं।

#### खास कलम से देना होगा वोट

ECI के अनुसार, 'वोट पर निशान लगाने के लिए आयोग विशेष कलम की आपूर्ति करेगा। मतपत्र सौंपे जाने के बाद, नामित अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मतदाताओं को कलम दिया जाएगा। मतदाताओं को केवल इस विशेष कलम से ही, न कि किसी अन्य कलम से मतपत्र को अंकित करना होता है। किसी अन्य कलम का उपयोग करके मतदान करने पर मतगणना के समय मत अमान्य माना जाएगा।'

#### ये हैं कुछ कड़े नियम

संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गोपनीय ढंग से होगा। साथ ही आयोग के मुताबिक, इस चुनाव में खुला मतदान करने की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वर्ष 1974 के नियमों में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि मतदान कक्ष में वोट पर निशान लगाने के बाद मतदाता को मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता है।

मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। श्रष्टद्ध के अनुसार, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में राजनीतिक दल अपने-अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं।'

## चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में एलएसी मुद्दे पर भारत की दो टूक

**नई दिल्ली/बाली (वार्ता)।** भारत ने चीन से पूर्वी लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सेनाओं को आमने-सामने से हटाने को लेकर लंबित मुद्दों को तुरंत सुलझाने का आज आग्रह किया और कहा कि भारत चीन संबंधों में तीन प्रकार की परस्परता परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता एवं पारस्परिक हितों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 देशों के विदेशमंत्रियों की बैठक के इतर आज चीन के स्टेट काउंसलर एवं विदेश मंत्री वांग यी से भेंट की जिसमें डॉ. जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर लंबित मुद्दों का त्वरित समाधान का आह्वान किया। उन्होंने कुछ इलाकों में सेनाओं से आमने सामने से हटाने के निर्णय के क्रियान्वयन का हवाला देते हुए सभी बकाया मोर्चों से सेनाओं की पूर्ण वापसी की जरूरत पर बल दिया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम हो सके। डॉ. जयशंकर ने द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉलों तथा दोनों मंत्रियों के बीच पिछली वार्ताओं में बनी सहमति के पूर्णतः पालन की अहमियत पर बल दिया। इस संबंध में दोनों मंत्रियों ने कहा कि

दोनों पक्षों के सैन्य एवं कूटनीतिक अधिकारियों को नियमित संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने अगले दौर की सीनियर कमांडर स्तर की बैठक किसी नज़दीकी तिथि को बुलाने की अपेक्षा व्यक्त की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एवं चीन के संबंध तीन पारस्परिकताओं -परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता एवं पारस्परिक हितों का ध्यान रख कर सर्वश्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। डॉ. जयशंकर ने श्री वांग यी ने मार्च में दिल्ली में हुई मुलाकात को याद किया और उसके बाद प्रमुख मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की जिसमें भारतीय छात्रों की चीन के शिक्षण संस्थानों में वापसी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों को वापसी की प्रक्रिया तेज़ होनी चाहिए। श्री वांग यी ने ब्रिक्स की चीन की अध्यक्षता में भारत के सहयोग की सराहना की और जी-20 और शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता को चीन की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

## एयरलाइन अकासा एयर को डीजीसीए से मिला लाइसेंस

#### अब उड़ान भर सकेगी एयरलाइन

**नई दिल्ली।** शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला समर्थित एयरलाइन अकासा एयर को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल, अकासा एयर को डीजीसीए से एयरलाइन लाइसेंस मिल गया है। एयरलाइन कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली डीजीसीए ने बताया कि अब अकासा एयर एयरलाइन परिचालन शुरू कर सकती है।

वहीं, अकासा एयर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है- हमें अपने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) की प्राप्ति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमें कॉमर्शियल उड़ान की शुरुआत करने में सक्षम बनाता है।

ऐसा माना जा रहा है कि अकासा एयर जुलाई के आखिरी सप्ताह तक पहली कॉमर्शियल उड़ान शुरू कर देगी। वहीं, 15 जुलाई के बाद अकासा एयर की एयरलाइन में टिकट की बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में अकासा ने अपने कर्मचारियों की ड्रेस के बारे में जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया था कि अकासा पहली भारतीय एयरलाइन है जिसने कस्टम ट्राउजर्स, जैकेट्स और स्नीकर्स को अपने यूनीफॉर्म में शामिल किया है।

#### चीन में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलटों की मौत

**बीजिंग (वार्ता/स्पूतनिक)।** चीन की राजधानी बीजिंग के दक्षिण-पश्चिमी उपनगरीय इलाके में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (सीएएसी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सीएएसी ने एक बयान जारी करके कहा,छह जुलाई को स्थानीय समयानुमसार 3:30 बजे बीजिंग रेनवुड स्टार जनरल एविएशन से संबंधित एक 'बेल 505' हेलीकॉप्टर चांगपिंग जिले (बीजिंग के उत्तर) से फांगशान जिले (बीजिंग के दक्षिण-पश्चिम) में शिदु दर्शनीय क्षेत्र की उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। बयान के अनुसार हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है।

## श्रीलंका में 62.6 लाख लोग खाद्य असुरक्षित: डब्ल्यूएफपी

**कोलंबो (वार्ता)।** विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा है कि श्रीलंका में 62.6 लाख लोग खाद्य असुरक्षित हैं और डब्ल्यूएफपी दिसंबर तक 30 लाख लोगों को आपातकालीन भोजन, पोषण और स्कूली भोजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा।

स्थानीय अखबार डेली मिरर ने गुरुवार को डब्ल्यूएफपी के हवाले से कहा,÷ 10 में से तीन परिवार (62.6 लाख लोग) खाद्य असुरक्षित हैं, जिनमें से 65,600 गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं और दो लाख परिवार आपातकालीन आजीविका से निपटने की रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। डब्ल्यूएफपी ने गर्भवती महिलाओं को पहले 2,375 फूड वाउचर में से 88 फीसदी (2,100) बांटे हैं। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई आबादी आर्थिक और खाद्य संकट का खामियाजा भुगत रही है। जून में खाद्य मुद्रास्फीति खतरनाक रूप से

57.4 प्रतिशत पर थी। डब्ल्यूएफपी ने कहा कि तेजी से बढ़ती खाद्य कीमतों ने पर्याप्त और पौष्टिक भोजन को लोगों तक पहुंच को मुश्किल बना दिया है।

इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन किए गए अधिकांश परिवार (61 प्रतिशत) नियमित रूप से खाद्य-आधारित मुकाबला रणनीतियों जैसे कि कम पसंदीदा और कम पौष्टिक भोजन खाने और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को कम करने के लिए नियमित रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सबसे खराब थी, जहां आधे से अधिक परिवार खाद्य असुरक्षित थे। खाद्य असुरक्षा और मुकाबला करने की रणनीतियों के सभी उपायों में, इन परिवारों के शहरी और ग्रामीण आबादी की तुलना में लगातार खराब परिणाम हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां शहरी परिवार अब स्थिति का सामना करने के लिए बचत कर रहे हैं, वहीं चाय बागानों में रहने वाले लोग पहले से ही भोजन और अन्य आवश्यकताओं की खरीद के लिए ऋण की ओर रुख कर रहे हैं। श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

## देश में कोरोना की संख्या में लगातार वृद्धि

**नई दिल्ली (वार्ता)।** देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 119457 तक पहुंच गई है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 4245 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि आज सुबह सात बजे तक 11,44,489 टीके दिये जा चुके हैं। इनमें बीते 24 घंटे में दिए टीकों का आंकड़ा भी शामिल है, जो 198.33 करोड़ है।

मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोविड से ग्रसित 14650 मरीज ठीक हुये हैं। इसी के साथ अभी तक कुल 42921977 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं।देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से हुई मौतों का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान महामारी की चपेट में आकर 35 मरीजों की मौत हुई है। जिसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या पांच लाख 525305 तक पहुंच गई है। इन नये आंकड़ों के साथ देश में दैनिक संक्रमण दर 4.32 प्रतिशत, स्वस्थ होने वालों की दर 98.52 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,38,005 कोविड परीक्षण किये गये हैं। अब तक कुल 86.53 करोड़ कोविड परीक्षण किये जा चुके हैं।

केरल में कोरोना वायरस के 1014 सक्रिय मामले बढ़कर 30169 हो गये हैं। इससे निजात पाने वाले लोगों की संख्या 3080 बढ़कर 6559746 हो गयी है, जबकि मृतकों की संख्या 70073 है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 839 घटकर 19981 हो गयी है जबकि 3974 और लोगों के स्वस्थ होने के बाद इससे निजात पाने वाले लोगों का आंकड़ा 7825114 तक पहुंच गया है और मृतकों का आंकड़ा 147956 पर स्थिर है।

#### पाकिस्तान : थाने में विस्फोट, प्रभारी की मौत

**इस्लामाबाद (वार्ता)।** पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मरदन में गुरुवार को पुलिस थाने पर हुए बम हमले में थाना प्रभारी की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि स्थानीय समयानुसार 11 बजकर 20 मिनट पर निशाता रोड़ पर चमतर पुलिस थाने पर हुए हमले में थाना प्रभारी मकसूद चावोकी की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस थाना पर हमला किया था। इसी बीच, जियो न्यूज ने दैनिक जंग के हवाले से बताया कि मरदन में एक पुलिस थाने में विस्फोट किया गया जिसमें एक की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों सहित चार अन्य घायल हो गए।

## न्यूजीलैंड, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को श्रीलंका न जाने की दी सलाह

**कोलंबो (वार्ता)।** न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन ने जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे दक्षिण एशियाई द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका में लोगों के बीच पनप रहे आक्रोश को देखते हुए एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा पर न जाने की सलाह दी है। एक समाचार पत्र में गुरूवार को यह जानकारी दी गयी।

डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों देशों ने श्रीलंका की यात्रा पर न जाने की जो सलाह अपने नागरिकों के लिए जारी की है उससे श्रीलंका के पहले से ही संघर्ष कर रहे पर्यटन क्षेत्र पर और प्रभाव पड़ेगा।

ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड की सरकारों ने श्रीलंका में दिन प्रतिदिन खराब होते आर्थिक हालातों और इसके कारण लोगों के बीच अशांति फैलने की आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए जारी ÷यात्रा सलाह÷ में बदलाव किया है। इनके अलावा अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ,ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड ने ही अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा से बचने की सलाह दी है।

श्रीलंका के पर्यटन विभाग प्राधिकरण (एसएलटीडीए) के अध्यक्ष प्रिएंथा फर्नांडो ने कहा कि विभिन्न देशों की सरकारों की जिम्मदारी है कि वह अपने नागरिकों को बाहरी मुल्क में पनप रहे हालातों के बारे में जानकारी दें।

**शाह ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया**

# कश्मीर में भेदभाव के बिना जन-जन तक पहुंच रहा है विकास : शाह

**नई दिल्ली (वार्ता)।** केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर अंकुश लगाते हुए जन जन तक बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को पहुंचाया है। शाह ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और श्री यदुगिरी यतिराज मठ के श्री श्री यतिराज जीयरस्वामी जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में श्री सिन्हा ने कश्मीर में आतंक पर निर्णायक वर्चस्व स्थापित करने का काम किया है और कश्मीर के जन-जन तक बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने धारा 370 और 35 ए हटाये जाने के बाद कश्मीर में एक नए युग की शुरूआत हुई है। ऐसे समय में इस शांति प्रतिमा की स्थापना सभी धर्मों को मानने वाले कश्मीरियों के लिए रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश लेकर आएगी और कश्मीर को शांति और प्रगति के रास्ते पर और आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर शांति और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। गृह मंत्री ने कहा, जब सामाजिक एकता खंडित हो रही थी, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ समाज को ग्रसित कर रहीं थी, तब विधाता ने रामानुजाचार्य जी को एक महापुरुष के रूप में भारत में भेजकर वैष्णव मानवधर्म को उसके मूल के साथ जोड़ने का एक महान कार्य उनके हाथों से कराया।÷ उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस शांति प्रतिमा का प्रतिष्ठित होना पूरे देश, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के लिए, एक बहुत शुभ संकेत है। श्री शाह ने कहा कि एक प्रकार से रामानुजाचार्य जी का जीवन और कर्मस्थल ज़्यादातर दक्षिण भारत में था। लेकिन उनकी शिक्षा और प्रेम का प्रसार आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। देशभर में अनेक मत, संप्रदाय रामानुजाचार्य और उनके शिष्य रामानंद के मूल संदेश में से आगे बढ़े हैं। आज इसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर में भारत माता की मुकुटमणि कश्मीर में उनकी इतनी बड़ी शांति प्रतिमा का प्रतिस्थापन किया गया है। ये प्रतिमा ना केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत में शांति का संदेश देगी। ये प्रतिमा चार फुट ऊंची और शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी है और लगभग 600 किलो वज़न की है। कर्नाटक के मांड्या ज़िले में स्थित यदुगिरि का यतिराज मठ मेलकोट का एकमात्र मूल मठ है जो रामानुजाचार्य जी के समय से मौजूद है।

#### अर्जेंटीना : 'डर्टी वॉर' के लिए पूर्व सैन्य अधिकारियों को जेल

**ब्यूनस आयर्स (वार्ता)।** अर्जेंटीना की संघीय अदालत ने 1976-83 के दौरान जनरल जॉर्ज विडेला के नेतृत्व में देश की सत्ता पर कब्जा करने के दौरान राष्ट्रव्यापी अभियान में नरसंहार तथा अन्य अपराधों के लिए 19 पूर्व सैन्य अधिकारियों को लंबी अवधि की सजा सुनाई है। बीबीसी के मुताबिक, सजा पाने वालों में जनरल सैंटियागो रिवरोस भी शामिल हैं, जो पहले कई अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्हें 100 से अधिक अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। संघीय अदालत ने उस घटना पर अफसोस जताया कि जिसमें मर्सिडीज बेंज कारखाने के छह ऑटो प्लांट श्रमिकों सहित लगभग 350 पीड़ितों के खिलाफ जुल्म किए गए थे।

# मोर महापौर मोर द्वार में 404 मामले का तत्काल किया निराकरण

**रायपुर (नवप्रदेश)।** मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत दसवें दिन गुरूवार को पहला शिविर निगम जोन 2 के राजीव गांधी वार्ड 13 के टिम्बर भवन देवेन्द्र नगर एवं दूसरा शिविर जोन 8 के माघव राव सप्रे वार्ड 69 के हरदिहा साहू समाज सामुदायिक भवन रायपुर में लगाया गया। दोनों वार्ड के शिविर में पहुंचकर महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौड़, एमआईसी सदस्य सर्वश्री सुन्दरलाल जोगी, अजीत कुकरेजा, सतनाम पनाग, रितेश त्रिपाठी, जितेन्द्र अग्रवाल, सुरेष चन्नावार, अंजनी राधेश्याम विभार, द्रौपती हेमंत पटेल, जोन 2 अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा बंटी, वार्ड पार्षद तिलक पटेल, विरेन्द्र देवांगन, अनवर हुसैन, नीलम नीलकंठ जगत, शीतल कुलदीप बोगा, एल्डरमेन अफरोज अंजुम, शमशुल हसन नम्मू, सुनील भुवाल, सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाठक, अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, जोन कमिश्नरगणों, कार्यपालन अभियंताओं, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में नागरिकों की समस्याएं सुनीं एवं उनका हरसंभव तरीके से त्वरित निदान अपने सामने मिनटों में करवाया।

महापौर एजाज ढेबर ने एक और वादा पूरा कर दिया। महापौर ने विगत दिवस संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 के मोर महापौर मोर द्वार शिविर में भरत नगर के निवासी पैर से 80 प्रतिशत निशक्त दुर्गेश निषाद द्वारा संपर्क करते ही उनसे बैटरी चलित ट्रायसिकल दिलवाने का वादा किया था। जब निःशक्त नागरिक दुर्गेश निषाद निगम के महात्मा गांधी सदन पहुंचे तो उन्हें महापौर एजाज ढेबर ने बस में बिठाकर महापौर निवास कार्यालय ले जाकर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बैसाखी के सहारे पहुंचे निषाद को बैटरी चलित नई ट्रायसिकल प्रदत्त की। निषाद ने ट्रायसिकल मिलते ही महापौर एजाज ढेबर को हार्दिक धन्यवाद दिया।

पहले शिविर हेतु वार्ड 13 में पहुंचते ही महापौर ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर जनता के मध्य अपना अभियान प्रारंभ किया। वार्ड 13 के शिविर में महापौर एजाज ढेबर एवं रायपुर उत्तर विधायक जुनेजा के निर्देश पर एनयूएलएम मिशन मैनेजर रीमा शुक्ला ने वार्ड निवासी पुष्पा ध्रुव को व्यक्तिगत ऋण योजना आवेदन स्वीकृत करवाकर तत्काल नया ई रिक्षा उपलब्ध करवाया। ई रिक्षा में पहली सवारी महापौर एवं उत्तर विधायक को बैठाकर पुष्पा ध्रुव ने की। लौटते समय महापौर ने ई रिक्षा चालक पुष्पा ध्रुव को उनके ई रिक्षे में रायपुर उत्तर विधायक जुनेजा के साथ बैठाकर ई रिक्षा चलाया। वापस लौटते ही उत्तर विधायक श्री जुनेजा ने महापौर श्री ढेबर के साथ मिलकर पुष्पा ध्रुव को नया ई रिक्षा प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई सहित बोहनी के रूप में प्रतिकात्मक रूप से 100 रू. का पहली सवारी का भाड़ा दिया। पुष्पा ध्रुव ने ई रिक्षा मिलने पर प्रसन्नता पूर्वक महापौर एवं उत्तर विधायक को हार्दिक धन्यवाद दिया।

इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 69 के शिविर में महापौर के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता योजना राजेश शर्मा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिकारी डॉ. संगीता ठाकुर ने वार्ड निवासी हीना रजक का आवेदन मोर जमीन मोर मकान योजना में दस्तावेज परीक्षण तत्काल करवाकर उन्हें तत्काल मकान हेतु 50 हजार रू. की राशि स्वीकृत की। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर हीना रजक ने महापौर एवं वार्ड पार्षद वीरेन्द्र देवांगन को हार्दिक धन्यवाद दिया। वार्ड 69 के शिविर में जनता की मांग पर मंच से महापौर ने वार्ड के रायपुरा स्थित देवांगन बाडी में निवासी राकेश त्रिपाठी के घर के समीप नई सीसी रोड एवं नाली शीघ्र बनाने महापौर निधि मद से तत्काल 5 लाख रू. स्वीकृत करने की घोषणा की एवं जोन अधिकारियों के साथ वार्ड पार्षद वीरेन्द्र देवांगन, एमआईसी सदस्यों सहित जाकर महापौर ने देवांगन बाडी रायपुरा के स्थल का निरीक्षण किया। जहां के निवासियों ने तत्काल राषि नई सीसी व नाली हेतु महापौर निधि से स्वीकृत करने पर महापौर को हार्दिक धन्यवाद दिया।

# शिक्षा उपकर की 5 लाख रुपए स्कूलों में किया जाएगा खर्च

- डुंडेरा जोरातराई के नागरिकों को सुविधा देने मेंटनेंस रिसाली की जगह उतई बिजली ऑफिस से
- एमआईसी में कई निर्णय

**रिसाली।** डुंडेरा जोरातराई वार्ड के नागरिकों को बिजली संबंधी समस्या के निवारण के लिए नगर पालिक निगम नई व्यवस्था करने योजना बनाई है। इसके लिए महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाली परिषद ने छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। गुरूवार को हुए महापौर परिषद की बैठक में जनहित में कार्य करने निर्णय लिया।

एमआईसी सद्स्यों का कहना था कि रिसाली व डुंडेरा की दुरी 6 किलोमीटर है। रिसाली निगम बनने के बाद बिजली संबंधी समस्या के लिए वहां के नागरिक रिसाली बिजली ऑफिस फोन करते है। कई बार समय पर बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचते। इस वजह से वार्ड अंधेरे में डूबा रहता है। महापौर की अध्यक्षता वाली समिति में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में नागरिकों को संधारण व्यवस्था उतई बिजली ऑफिस से मिले। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को भी सुविधा मिलेगी। महापौर परिषद की बैठक में सभापति केशव बंछोर, एमआईसी अनूप डे, सनीर साहू, गोविन्द चतुर्वेदी, चन्द्रभान सिंह ठाकुर, विलास राव बोरकर, परमेश्वर, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू, आयुक्त आशीष देवांगन, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर व विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

### स्कूलों के मरम्मत में होगी राशि खर्च

शिक्षा, खेलकूद विभाग सलाहकार समिति की अनुशंसा को सर्व सम्मति से पारित किया गया। अब हर साल 5 लाख शिक्षा उपकर की राशि स्कूलों के मरम्मत के लिए खर्च की जाएगी। साथ ही एमआईसी सद्स्यों ने निर्णय लिया कि निगम क्षेत्र के स्कूलों में खेलकूद के लिए जैसे बेडमिंटन कोर्ट व व्हालीबाल ग्राउंड भी बनाया जाए। इसके लिए अधिकारी 21 स्कूलों का सर्वे करेंगे।

### महत्वपूर्ण कार्यो में तेजी

महापौर परिषद की बैठक में दो महत्वपूर्ण कार्यो के लिए जारी टेंडर दर की स्वीकृति दी गई। दर स्वीकृत होने से महत्वपूर्ण कार्य जैसे डीस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन के मरम्मत और मेन राईजिंग लाईन मरम्मत कार्य में तेजी आएगी। दोनों ही कार्य दर स्वीकृति के अभाव में रूका था।

### हर साल होगा कार्यक्रम

राष्ट्रीय खेल एवं पढ़ाई में टाप करने वाले बच्चों के लिए नगर पालिक निगम हर साल कार्यक्रम आयोजित करेगा। महापौर परिषद ने निर्णय लिया है कि निगम प्रतिभावानों को हर साल सम्मान करेगा।

## खत्म होंगे स्वास्थ्य कर्मियों के अटेचमेंट, कलेक्टर ने दिए निर्देश

**रायपुर/नवप्रदेश।** कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे आज धरसीवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी पहुंचे। उन्होंने इलाज करवाने आए मरीजों और उनके परीजनों से स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार और बातचीत के तरीके के बारे में भी मरीजों से पूछा। लोगों ने अस्पताल में स्टाफ की कमी और स्वास्थ्य सुविधाए बढ़ाने की जरूरत बताई। डॉ भूरे ने पूरे स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजुद सी.एम.एच.ओ डॉ मीरा बघेल और बी.एम.ओ डॉ निवेदिता लकड़ा ने भी कलेक्टर को स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कमी से अवगत कराया। धरसीवां सीएससी के नर्सिंग स्टाफ का अन्य अस्पताल में अटेचमेंट होने की जानकारी भी इस दौरान कलेक्टर को मिली। साथ ही अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त होने के बाद भी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी नहीं होने की भी जानकारी दी गई। तत्काल सभी स्वास्थ्य कर्मियों के अटेचमेंट खत्म कर उन्हें अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने के आदेश करने के निर्देश सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल को दिए।

## कलेक्टर ने तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण

**भाटापारा/नवप्रदेश।** कलेक्टर रजत बंसल ने बलौदाबाजार तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुराने आलमारियों से फाइल को खंगाल खंगाल कर अवलोकन किया। उन्होंने 2 - 3 फाइलों में आपत्ति भी दर्ज कराया। इसके साथ ही पूरे कार्यालयों में फाइलों के फैलने रहने से कड़ी नाराजगी जताई है। इस दौरान स्ट्रांग रूम, नाजिर शाखा, डब्ल्यू बीएमशाखा सहित अन्य कक्षो का अवलोकन किया। मौके में उपस्थित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कार्यालय में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की भी शिकायत की गयी। जिसे कलेक्टर ने बड़े गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को इसके लिए तलब करते हुए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने तहसील में मौजूदा रिकार्ड स्थिति को देखकर कड़ी नाराजगी जताते हुए विशेष अभियान चलाकर इन रिकार्डो को स्ट्रांग रूम में व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए है। पुराने उपकरण इधर उधर पड़े रहने पर भी नाराजगी जताई।

जेड यू. खान
मो. 9826312888
अजीज खान एण्ड ब्रदर्स
9993965299, 9755254060
मार्डन प्लास्टर आर्ट

प्लास्टर ऑफ पेरिस, पी.ओ.पी. एवं जिप्सम बोंड, बॉटल, चैनल एल व सीट मोल्डिंग फूल पिलर्स व एसेसरीज सामाग्री के विक्रेता
फाल सीलिंग का कार्य भी किया जाता है
संतोषी नगर चौक, रिंग रोड नं.1, नंदु एलायमेंट के बाजु, रायपुर (छ.ग.)

## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Email add- hocecb@gmail.com

### सर्वसंबंधितों को सूचना

### एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक हेतु नोटिस

सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सा.का.नि. 571 (अ) दिनांक 12/08/2021 के प्रावधानों के अनुसार पोलीस्टाइरीन ओर विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 01/07/2022 से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगाः-

1. प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिर।

छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 05-88/2014/32 दिनांक 27/09/2017 द्वारा पूर्व से ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोमबोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेगा।

अतः सभी उत्पादनकर्ता, संग्रहणकर्ता, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कामर्स कम्पनी, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (मॉल्स/ बाजार/ शॉपिंग सेण्टर / सिनेमा हॉल/ पर्यटन स्थल/ विद्यालय /महाविद्यालय / कार्य स्थल / अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं) एवं जन सामान्य को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग बंद किया जाए।

उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके तहत् एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की जब्ती करने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूलने एवं इकाई/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्यवाही शामिल की जायेगी।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल